सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा   बुधवार, तिथि 17 मार्च, 2021 (ई०)

द्वितीय सत्र   26 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय दो दिनों से आशा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वे स्वास्थ्य विभाग के...

अध्यक्ष : आपका कार्यस्थगन आया है ।

श्री सत्यदेव राम : उनकी मेहनत से स्वास्थ्य विभाग को मजबूती मिली है इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं...

अध्यक्ष : कार्यस्थगन आया है । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, उनका मानदेय बढ़ाया जाय एवं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाय ।

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न सं0-2185 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र सं0-239, वारिसलीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- पईन मिट्टी से भर गयी है तथा इसमें कुछ भाग में अतिक्रमण है । अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा के पत्रांक-335 दिनांक-26.02.2021 द्वारा अंचलाधिकारी को लिखा गया है । अतिक्रमण मुक्त होते ही इस पईन का जीर्णोद्धार कार्य करा दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिये । उत्तर मिला है या नहीं ?

श्रीमती अरूणा देवी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है । मेरा कहना है कि यह पईन अति महत्वपूर्ण है और बाजार से होकर गुजरने के कारण बाजार कचरा एवं मिट्टी से भरा रहता है तथा अतिक्रमण भी वहां है । हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सफाई और बाजार भाग का पक्कीकरण करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने बोला है कि अतिक्रमण की समस्या है तो अतिक्रमण मुक्ति हेतु सी0ओ0 एवं और भी संबंधित पदाधिकारी को लिखवा चुके हैं जैसे ही अतिक्रमण मुक्त होगा इस कार्य को करवा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2186 (श्री भूदेव चौधरी, क्षेत्र सं0-160, धोरैया (अ0जा0))

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया है । मैं चाहता हूं...

अध्यक्ष : उत्तर ऑनलाइन है, उत्तर निकालियेगा, देखियेगा नहीं तो पी0ए0 से निकलवाइये ।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, मेरा अनुरोध है कि उत्तर पढ़ दिया जाय ।

अध्यक्ष : उत्तर पढ़ दिया जाय । माननीय मंत्री, जल संसाधन ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि चंदन जलाशय योजनान्तर्गत गहिरा चीर मुख्य नहर पथ के बायां भाग के 46.40 आर0डी0 से श्रीपाथर वितरणी निःसृत है । श्रीपाथर वितरणी के 19.00 आर0डी0 के पास जगतपुर तथा 39.00 आर0डी0 के पास लौगांव अवस्थित है ।

चंदन जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य अन्तर्गत श्रीपाथर वितरणी का जीर्णोद्धार कार्य भी वर्ष 2019 में करा लिया गया है । वर्तमान में इस नहर की स्थिति अच्छी है एवं बांका जिला के धोरैया एवं बाराहाट प्रखंड में खरीफ सिंचाई, 2020 के दौरान 3550 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ।

वर्तमान में भू-गर्भ जल स्तर में गिरावट को ध्यान में रखकर भू-गर्भ जल रिचार्ज हेतु इस नहर के पक्कीकरण कार्य का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां से विधायक हूं और वस्तुस्थिति से मैं अवगत हूं । लौगांव के बाद से भले ही पक्कीकरण हुआ है लेकिन जगतपुर और लौगांव के बीच में लगभग 13-14 किलोमीटर बिल्कुल कच्ची है और जीर्णशीर्ण पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है जिससे किसानों को काफी दिक्कत होती है । बरसात के दिनों में नहीं चाहते हुए भी किसानों के खेतों में पानी बाढ़ की तरह आ जाता है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लौगांव से जगतपुर तक जो 13-14 किलोमीटर तक कच्ची सड़क है उसका पक्कीकरण करा दीजिये ताकि जनहित में और किसानों के हित में हो सके । यही मैं आपसे निवेदन करता हूं तो मैं चाहता हूं कि ये कब तक आप करा सकेंगे, स्पष्ट किया जाय ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पक्कीकरण का काम मैंने कहा कि भू-गर्भ जल नीचे जाने के कारण पक्कीकरण का काम विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है लेकिन अगर वह बोल रहे हैं कि 13-14 किलोमीटर में सड़क टूटा-फूटा हुआ है तो उसको हम जरूर दिखवा लेंगे रिपेयर करने की जहां तक बात है लेकिन पक्कीकरण का काम हमलोगों ने अभी बंद रखा हुआ है । उसको रिपेयर हमलोग जरूर करा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री ऋषि कुमार ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक...

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा अनुरोध है मेरा पूरक प्रश्न है । किसानों के हित में है अगर वह पक्कीकरण नहीं हो सकता है तो कम से कम स्थायी निदान तो करवा दीजिये उसका ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा हो और जल-जमाव भी खेत में न हो ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री ऋषि कुमार ।

श्री भूदेव चौधरी : धन्यवाद ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय...

अध्यक्ष : आपका प्रश्न नहीं है ऋषि कुमार जी का है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, एक प्रश्न रह गया था वो ऑर्डरशीट में आज आया हुआ है । माननीय मंत्री जी जवाब लेकर आये हैं । प्रश्न स्थानांतरित हुआ था, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग...

अध्यक्ष : श्री ऋषि कुमार ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले डेट को वह प्रश्न आया था, हमने समय मांगा था । आज के ऑर्डर पेपर में नहीं है यही प्रश्न श्रीमती शालिनी मिश्रा जी उठा रही हैं ।

अध्यक्ष : अगर आया है तो आप उपलब्ध करवा दीजियेगा उनको । ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2187 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र सं0-220, ओबरा)</u>

(अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2188 (श्री कृष्णनंदन पासवान, क्षेत्र सं0-13, हरसिद्धि (अ0जा0)</u>

अध्यक्ष : श्री कृष्णनंदन पासवान । उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : आप प्रयास करिए उत्तर निकालने का । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 1.8 कि0मी0 है, जिसमें 800 मीटर पक्की सड़क है तथा शेष पथांश 700 मीटर ईंटीकृत एवं 300 मीटर कच्ची है । प्रश्नाधीन पथ के आरेखन पर मात्र एक बसावट मानववारी को MMGSY अंतर्गत निर्मित बलुआ से मानववारी ततवा टोला पथ एवं पंचायत द्वारा निर्मित PCC जो पकड़ी चौक के पास RCD पथ से जुड़ता है, से संपर्कता प्राप्त है । सम्प्रति विभाग द्वारा मानववारी बसावट को एकल सम्पर्कता प्रदान कर दी गई है ।

अत: पथ के आरेखन में शेष अनिर्मित पथांश के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम जानना चाह रहे हैं कि 4 पंचायतों से जुड़ा हुआ पथ है, आवागमन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण पथ है । माननीय मंत्री जी नियम का हवाला देते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनहित में आवागमन की दृष्टि को देखते हुए माननीय मंत्री जी पथ का निर्माण करायेंगे और करायेंगे तो कब तक करायेंगे और नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जनहित को देखते हुए बोलिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चूंकि एकल संपर्कता प्रदत है उस गांव में लेकिन फिर भी बोल रहे हैं तो हम दिखवा लेते हैं उसको ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2189 (श्री दिलीप राय, क्षेत्र सं0-26, सुरसंड)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : 1- वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी प्रखंड के हरदिया पंचायत में सम्हौली गांव के चौर में बरसात के दिनों में जल-जमाव होता है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक ।

उक्त क्षेत्र में बरसात के बाद जल-जमाव नहीं रहता है तथा किसानों के द्वारा उक्त भूमि पर केवल रबी (एक फसल) की खेती की जाती है ।

3- विभागीय पत्रांक-1502 दिनांक 12.03.2021 से मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को सम्हौली गांव स्थित चौर से जल निकासी हेतु चैनल का निर्माण करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता के आधार पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ।

अध्यक्ष : श्री दिलीप राय, पूरक पूछिए ।

श्री दिलीप राय : अध्यक्ष महोदय, जवाब से तो संतुष्ट हैं लेकिन समय-सीमा नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष : समय सीमा बता दीजिए, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने भेजा है, लेकिन जल्दी ही इसको हमलोग...

अध्यक्ष : जल्द ही इसको करवा लीजिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : फिजिब्लिटी रिपोर्ट ले आयेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-2190 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र सं0-15, केसरिया)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मदन सिरसिया में वर्ष 2019 में जमीन का निबंधन हुआ था परंतु राशि नहीं होने के कारण कार्य में विलंब हुआ । राशि प्राप्त होने के बाद पंचायत द्वारा खाता संधारण के पश्चात राशि का अन्तरण ग्राम पंचायत के खाते में की गई है तत्पश्चात दिनांक 06.03.2021 को पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है । इसमें मैं जानकारी देना चाहती हूं कि जब मैंने चिट्ठी लिखी है, यह प्रश्न डाला है उसके बाद आनन-फानन में मुझसे पूछा गया कि मैडम आप कब शिलान्यास करना चाहती हैं, जल्दी आ जाइए, करवाया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूं कि ये जो रिएक्टिव अप्रोच अधिकारियों का है उसको प्रोएक्टिव अप्रोच में चेंज करना चाहते हैं और दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इस काम को कब तक खत्म करना चाहते हैं, जल्द से जल्द ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट हमने कहा कि कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । राशि नहीं उपलब्ध थी हमने यह कहा । राशि उपलब्ध करायी गयी उसके बाद तुरंत चालू किया गया । माननीय सदस्या जिस बात की चिन्ता जाहिर कर रही हैं, हमने स्पष्ट तौर पर बजट के दौरान ही बताया है कि अगला जो वित्तीय वर्ष है जहां सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता है सभी जगह पर जो हमारे 8 हजार 300 पंचायत हैं, जिसमें 300 पंचायत तो हमारे नगर पंचायत या नगर निगम में चले जायेंगे लेकिन शेष जितने भी बचे हुए हैं, सभी जगह वर्ष 2021-22 में हमलोग कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है आग्रह है कि इसे शुरू करवा दें ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2191(श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र सं0-226, शेरघाटी)</u>

(अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2192 (श्री रणविजय साहू, क्षेत्र सं0-135, मोरवा)</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड के इंदर वाड़ा, वानदे, मरीचा, केशोनारायणपुर एवं वाजिदपुर करनाई पंचायत को शाहपुर पटोरी प्रखंड में शामिल करने के संबंध में पंचायत स्थानांतरण संबंधी विहित प्रपत्र दस कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को निर्देशित किया गया है । जिला पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को प्राप्त होने के उपरान्त प्रखंड पुर्नगठन से संबंधित आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

टर्न-2/मुकुल-राहुल/17.03.2021

श्री रणविजय साहू: अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता की यह मांग है और खासकर महिलाओं को बरसात के मौसम में मोरवा प्रखंड जाने में बहुत तकलीफ/दिक्कत होती है । इसलिए वहां के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग है, इसलिए आग्रह है कि इसको जोड़ा जाय ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2193 (श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)</u>

अध्यक्ष: पूरक पूछिए ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमको उत्तर मिला नहीं है ।

अध्यक्ष: उत्तर ऑनलाइन आता है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि आपने जो आवास हमको आवंटित किया है उसमें एक माननीय मंत्री जी हैं...

अध्यक्ष: इसमें आवास कहां से आ गया ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: हुजूर, हम रोज आरा से, आरा से हम रोज आते-जाते हैं और आरा से आने का मतलब...

अध्यक्ष: वह रास्ते में भी ऑनलाइन मोबाइल पर देखा जा सकता है । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पढ़ दीजिए ।

श्री जयंत राज, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है:- (1) भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा विधान सभा क्षेत्र सरैया से सलेमपुर भाया दुर्ग टोला नथमलपुर पथ:- इस पथ का वास्तविक नाम सरैया से सब्बलपुर भाया गजियापुर नथमलपुर है, जिसकी लम्बाई 6.70 कि0मी0 है । इस पथ में शीर्ष 3054 से मरम्मति कराया गया है, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अंतिम वर्ष में है । उक्त पथ का कुछ पथांश बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसके पुनर्स्थापन हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है । स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । (2) सार सीवान से कुदरिया बांध तक पथ:- यह पथ टी04 पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से जगतपुर के नाम से है, जिसकी लम्बाई 3.445 कि0मी0 है । यह पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 मद से निर्मित है। अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत सर्वे कराकर प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है । स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया, आपके माध्यम से हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इन्होंने कहा कि दोनों के संबंध में प्राक्कलन तैयार हो रहा है, अग्रेतर कार्रवाई हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि कब तक वह प्राक्कलन तैयार हो जायेगा और इस पथ का निर्माण कब से शुरू होगा ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसका प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है तो जल्दी ही हो जायेगा, यह स्वाभाविक बात है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी नये हैं वह बात सही है लेकिन विभाग जिस तरीके से जवाब देता है माननीय मंत्री जी को, एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आप जो काम करना चाहते हैं उसकी एक निश्चित अवधि होनी चाहिए तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राक्कलन तैयार हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्राक्कलन कब से तैयार हो रहा है और कब वह प्राक्कलन तैयार होकर के उसमें काम शुरू होगा ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन तो तैयार किया जा रहा है तो अभी तैयार किया जा रहा होगा ।

अध्यक्षः ये पूछ रहे हैं कि कब से प्राक्कलन तैयार हो रहा है ।

श्री जयंत राज, मंत्रीः कब से तैयार हो रहा है, उसकी तिथि हम बाद में बतायेंगे ।

अध्यक्षः आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा ।

श्री जयंत राज, मंत्रीः हम जानकारी प्राप्त करके दे देंगे ।

अध्यक्षः इनका काम अगले वित्तीय वर्ष में शुरू हो जायेगा ?

श्री जयंत राज, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जल्द हो जायेगा । अगले वित्तीय वर्ष में इनका काम करा देंगे ।

श्री सत्यदेव रामः अध्यक्ष महोदय, काम करायेंगे लेकिन तारीख नहीं बतायेंगे ।

अध्यक्षः तारीख/डेट तय हो गयी, आपको जानकारी नहीं है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्षः अब आपका तीसरा है, लास्ट है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, ठीक है लास्ट है । मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं, माननीय मंत्री जी को विभाग ने बरगलाने का काम किया है, चूंकि यदि प्राक्क्लन तैयार हो रहा है तो यह तो हो गया होगा कि प्राक्कलन कब से तैयार हो रहा है और कितने दिनों में प्राक्कलन तैयार होगा तो मंत्री जी मामले को स्पष्ट करें मैं इतना ही चाहता हूं । इनको क्या दिक्कत है, क्या इनके पास पैसे की कमी है, क्या है ?

(व्यवधान)

शेम-शेम की बात नहीं है ।

अध्यक्षः आप बैठ जाइये ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंहः यह मामला सारे सदन से जुड़ा हुआ है । इसलिए माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें, हुजूर, स्पष्ट करें ।

अध्यक्षः आप बैठ जायेंगे तब न स्पष्ट करेंगे ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंहः जी हां, हम बैठ जायेंगे ।

अध्यक्षः बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी आपको डेट नहीं पता है, विभाग से जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को बता दीजिएगा ।

श्री जयंत राज, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आपको बता देंगे ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसी सेशन में बता दें ।

अध्यक्षः हां, इसी सेशन में बता देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2194 (श्री राजेश कुमार, क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0)</u>

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-2195 (श्री केदार नाथ सिंह, क्षेत्र संख्या-115 बनियारपुर)

अध्यक्ष: रामप्रवेश राय जी को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री रामप्रवेश राय: महोदय, पूछता हूं ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, (1) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है, पहला कामता रजौली से पकवलिया तक इस पथ की लंबाई 0.95 किलोमीटर है, पथ का निर्माण एम0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रगति मे है । इकरारनामा के अनुसार तिथि समाप्ति की तिथि 28.04.2021 है । पथ में जी0एस0बी0डब्ल्यू0बी0एम0 ग्रेड-3 एम0पी0सी0सी0 का कार्य कराया गया है । जिसके निर्माण के उपयोग में की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच कार्यपालक अभियंता क्षेत्रीय प्रयोगशाला छपरा के द्वारा करायी गयी है, जिसे संतोषजनक पाया गया है । दूसरा, बसही भखुरा मिट्टी से अधीर टोला होते हुए नोनिया टोला तक पथ की लंबाई 1.25 किलोमीटर है, पथ का निर्माण कार्य एम0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत दिनांक 03.12.2020 को पूर्ण कराया गया है । पथ की स्थिति संतोषजनक है एवं पथ में आवागमन सुचारू रूप से चालु है । पथ के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच कार्यपालक अभियंता क्षेत्रीय प्रयोगशाला छपरा के द्वारा कराया गया है जिसे संतोषप्रद पाया गया है । विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्त इंडिपेंडेंट इंजीनियर के द्वारा भी पथ की जांच की गई है जिसे संतोषजनक पाया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2196 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21 ढाका)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: (1) स्वीकारात्मक है ।

(2)मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नली पक्कीकरण निश्चय योजना क्रमशः विभागीय दिशा-निर्देश 5751 दिनांक-30.06.2017 एवं 5752 दिनांक-30.06.2017 के आलोक में योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा कराया जाता है । पंचायत सरकार भवन का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाता है । इस हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्य-3 (स्वी0) दिनांक-03.06.2019 जारी किया गया है ।

(3) ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब को देखे हैं इसमें आपके संरक्षण की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि 7.50 लाख रुपया का विभागीय काम कराने का निर्देश होता है । पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री गली-नली, नल-जल

योजना में 30 लाख रुपया तक का डिपार्टमेंटल काम वार्ड क्रियान्वयन समिति से कराने का काम किया और 1 करोड़ 30 लाख का काम पंचायत सरकार भवन जो टेंडर से होता था, वह काम डिपार्टमेंटल ग्राम पंचायत को करने के लिए दे दिया, लेकिन वही जिला परिषद् और पंचायत समिति की जब काम करने की बात है तो उसके हाथ और पैर को बांध दिया कि 7.50 लाख तक का काम ही आपको डिपार्टमेंटल करना है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि पंचायत समिति को दो पंचायत की योजनाओं को जोड़ने वाला काम करना है, जिला परिषद् को दो प्रखंड को जोड़ने वाली योजनाओं का काम करना है । 7.50 लाख रुपया का प्रावधान तो 25 साल पहले का है, 25 साल में महंगाई कहां से कहां चली गई ? दो सौ फीट की योजना होती है, पिछले सदन में ही शहरी विकास के मामले में माननीय पूर्व मंत्री नन्द किशोर यादव जी ने कहा था कि योजना छोटी होती है...

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, पूरक यही है कि माननीय मंत्री जी ने जो विभागीय जवाब दिया है कि कैबिनेट से ग्राम पंचायत को स्वीकृति दी गई है 1 करोड़ 30 लाख का काम करने के लिए, हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वर्ष 2017 में शुरू हुई मुख्यमंत्री गली-नली, नल-जल योजना, इसके लिए कैबिनेट की कोई स्वीकृति नहीं हुई और 30 लाख रुपया तक का काम करने की जिम्मेवारी वार्ड क्रियान्वयन समिति को दे दी गई । महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं कि वार्ड क्रियान्वयन समिति को किस कैबिनेट की बैठक से पास हुआ पैसा देने के लिए ?

टर्न-3/यानपति-अंजली/17.03.2021

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पंचायती राज ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार विचार रखती है इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जो जिला परिषद या पंचायत समिति या मुखिया के स्तर पर जो विकास के कार्य किये जाते हैं उसपर विचार रखती है इसमें कहीं दो मत नहीं है । ये मात्र दस साल पहले की स्वीकृति है । जब 2011-12 में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में 7.5 लाख रुपये की योजना तक को डिपार्टमेंटल करने की स्वीकृति मिली थी । हम यह जरूर आश्वस्त करते हैं सदन को कि हम इस पर विचार करेंगे कि 7.5 लाख रुपये से अधिक

राशि तक का भी विभागीय कार्य हो सके, इसको जल्द से जल्द हम करवाने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष: उन्होंने जो प्रश्न किया उसका जवाब दीजिए न ?

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: नहीं, नहीं वह बात सही है उनका पूरक यही है...

अध्यक्ष: नहीं है तो इसको स्थगित कर दें ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष जी, वह मूलत: यही चाहते हैं । यह जानना आपको ज्यादा जरूरी है वह सिर्फ यह चाहते हैं कि विभागीय कार्य अधिक राशि तक हो और उनका दूसरा जो पूरक है उसका जवाब हम उनको उपलब्ध करा देंगे इसमें कहीं दो मत नहीं है ।

अध्यक्ष: ठीक है इसको स्थगित किया जाता है ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: नहीं, नहीं, स्थगित तो अलग चीज है...

अध्यक्ष: आगे जवाब लेकर के दीजियेगा । श्री आलोक कुमार मेहता । अब हो गया...

(व्यवधान)

स्थगित के बाद क्या पूछियेगा ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक कब तक आयेगा ?

अध्यक्ष: इसी हाउस में आयेगा । अब श्री आलोक कुमार मेहता । माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग । यह ट्रांसफर होकर के लघु जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक-1146, दिनांक-10.03.2021 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में हस्तांतरित हुआ है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2197. (श्री आलोक कुमार मेहता, क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)

डॉ॰ रामप्रीत पासवान, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इसमें समय दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष हो गए बोरिंग हुये और पांच वर्षों के बाद भी आज तक वह, महोदय, चलते सत्र में जवाब दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है चलते सत्र में जवाब दे दीजिए । श्री राहुल तिवारी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2198. (श्री राहुल तिवारी, क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत करनामेपुर (मिल्की ईश्वरपुरा) से धर्मागतपुर भाया दिलमनपुर तक पथ की मरम्मती कार्य का प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के अन्तर्गत तैयार कराया गया है । स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री राहुल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, जवाब मिल गया है...

अध्यक्ष: मिल गया है ठीक है ।

श्री राहुल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, जवाब में मेरा पूरक है कि...

अध्यक्ष: संतुष्ट हैं न, तो बैठ जाइये ।

श्री राहुल तिवारी: महोदय, मंत्री जी का कहना है कि 2018 से स्वीकृत की प्रक्रिया में है तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या इसका टेंडर हो जायेगा ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, एंसर जो है ठीक से माननीय सदस्य पढ़े नहीं हैं । प्राक्कलन बिहार ग्रामीण अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत स्वीकृति प्रक्रिया में है । यह एंसर में दिया हुआ है और जो है, आपको बता देते हैं पूरी जानकारी, 22.10.2018 को ही इसका जो है डी0पी0आर0 बनाने के लिए दिया गया है और अब तो यह स्वीकृति की प्रक्रिया में है पॉजिटिव जवाब है, जल्द हो जायेगा ।

अध्यक्ष: श्री राजेश कुमार सिंह । माननीय मंत्री, पंचायती राज ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2199 (श्री राजेश कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि फुलवारी शरीफ प्रखंड के कुरथौल ग्राम स्थित वार्ड संख्या-8 के न्यू एतवारपुर मोहल्ला में राज किशोर केशरी के पूरब प्रिय रंजन के घर तक सड़क की लंबाई 200 फीट और चौड़ाई 15 फीट है । सड़क निर्माण हेतु अनुमानित लागत 12 लाख रुपये है । विभागीय पत्रांक-8043, दिनांक-21.12.2020 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नली, पक्कीकरण निश्चय योजना के अनुच्छादन क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जा रहा है अगले वित्तीय वर्ष में इसको पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्रीमती स्वर्णा सिंह । उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

तारांकित प्रश्न सं-2200 (श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)

श्रीमती स्वर्णा सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसको एक बार पढ़ दिया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड के किरतपुर पंचायत के बघरस में गेहुँआ नदी बॉया कमला बलान तटबंध से सटकर बहती है । दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड के किरतपुर पंचायत में स्लूईस गेट नहीं है, बल्कि बॉया कमला बलान तटबंध के 80.90 कि0मी0 पर स्लूईस गेट निर्मित है । वर्तमान में उक्त स्लूईस गेट के कंट्री साईड का लेवल नदी के बेड लेवल से भी नीचे है । जिसके कारण उसके बगल में मनसारा टोला में लगभग 15 लो लैंड में गेहुँआ नदी का पानी बरसात में जम जाता है । लो लैंड होने के कारण बरसात के बाद भी पानी गेहुँआ नदी से

नहीं निकल पाता है । वर्तमान भू-आकृति के अनुसार लो लैंड में जमा पानी बॉया कमला बलान तटबंध के 80.90 कि0मी0 पर बने स्लूईस गेट से भी नहीं निकल पायेगा । मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक- 1494 दिनांक-12.03.2021 द्वारा प्रश्नागत स्थल से जल निकासी हेतु तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है । तकनीकी संभाव्यता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष: श्री विनय बिहारी । मंत्री, पंचायती राज ।

तारांकित प्रश्न सं0-'क' 2201 (श्री विनय बिहारी, क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)

अध्यक्ष: आपका ऑनलाईन जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: ऑनलाईन है, आप पता कर लीजिये ।

अध्यक्ष: इसका भी नहीं है ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: एकदम ऑनलाईन है ।

अध्यक्ष: मिला है विनय जी ?

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: ऑनलाईन 16 में से 14 जवाब आपका ऑनलाईन है अध्यक्ष महोदय, जानकारी आप पता कीजिये ।

अध्यक्ष: एक मिनट । अभी तक नहीं मिला है, हमारे कार्यालय में ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाईन है यह मैं बता रहा हूं आपको, 16 में 14 सॉरी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सुन लीजिए, 9:00 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाईन जवाब निकाल लेता है और 16 में मात्र 11, 69 परसेंट ही जवाब ही आपका आया है ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: 11 जवाब कार्यालय में से ही आया होगा ।

अध्यक्ष: आप अपने कार्यालय में, अपने विभाग में थोड़ी समीक्षा कर लीजिएगा ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: नहीं, नहीं ठीक है । बहुत व्याकुल नहीं होना है । आंशिक स्वीकारात्मक है।

अध्यक्ष: आप वापस लीजिए इस शब्द को । माननीय मंत्री जी, वापस लीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: नहीं, नहीं वापस...

अध्यक्ष: नहीं, आप वापस लीजिए इस शब्द को ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं चलता है ।

अध्यक्ष: आप वापस लीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: आप ऐसा अध्यक्ष जी नहीं होता है । अध्यक्ष जी, इस तरह का डायरेक्शन नहीं चलता है ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: नहीं, व्याकुल होना यह आसन को नहीं कह सकते हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: आप इस तरह डायरेक्शन दिलाना....

अध्यक्ष: आप आसन को यह नहीं कह सकते हैं कि व्याकुल होना ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते हैं ।

अध्यक्ष: नहीं, व्याकुल... आसन नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा ।

(व्यवधान)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: आप समझ लीजिए, इस तरह नहीं चलेगा । बहुत व्याकुल नहीं होइये ।

अध्यक्ष: सभा की बैठक 12 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-4/सत्येन्द्र/17-03-2021

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब सदन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

आज के लिए सूचीबद्ध शून्यकाल की सूचना शून्यकाल समिति में भेज दी जायेगी । आज जो ध्यानाकर्षण की सूचना है, उसे 19 तारीख के लिए रखा जाता है।

अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-5/मधुप/17.03.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सदन में गम्भीर मुद्दा है, जो सदन का अपमान हुआ है ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सदन इसका संज्ञान ले और मंत्री को बर्खास्त करें । इस तरह से यह आसन का निजी मामला नहीं है, यह पूरे सदन की गरिमा और मर्यादा का हनन है । इसलिए इसको हल्के में नहीं लिया जाय । माननीय वरिष्ठ मंत्री और तमाम लोग बैठे हुये हैं । बिहार में इस तरह की पहली अप्रत्याशित घटना हुई है ।

श्री शकील अहमद खॉं : महोदय, इसपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सदन इसके उपर अपना रिएक्शन दे, उसके बाद आप प्रोसीडिंग को चलाइये । रिएक्शन क्या है सदन का और सरकार का इसमें क्या रिएक्शन है ?

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी एवं श्री शकील अहमद खॉं साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि सदन और सरकार इसपर विचार करे और सरकार की क्या राय है, यह सदन जानना चाहता है ।

महोदय, आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल की कार्यवाही जब शुरू हुई, प्रश्नोत्तर काल चल रहा था, उस दरम्यान किसी प्रश्न के उत्तर के क्रम में आसन से ऑनलाईन जवाब समय पर आने के संबंध में निदेश दिया गया । संबंधित मंत्री द्वारा सरकार की तरफ से भर प्रयास ऑनलाईन उत्तर दिये जाने की सूचना दी गई । आसन ने उसके बाद बड़ा ही सही निदेश दिया कि जितने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन आयेंगे, उतने अधिक से अधिक माननीय सदस्यों के प्रश्नों का निस्तार या निवारण या विचारण इस सदन में हो पायेगा । आसन का निदेश था । उसी क्रम में हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य जो उत्तर दे रहे थे, उनके व्यवहार में, आचरण में कुछ ऐसी अप्रत्याशित बात हो गई जो सरकार को और पूरे सदन को इस बात का एहसास है कि उससे आसन की भावना को ठेस लगी है, आसन के सम्मान को ठेस लगी है ।

महोदय, हम सरकार की तरफ से आसन को भी, पूरे सदन को, सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार की तो ऐसी मंशा नहीं ही होती है और जहाँ तक संबंधित माननीय मंत्री का प्रश्न है, मुझे जब पूरी बातों की जानकारी हुई, मैंने संबंधित मंत्री से भी बात की है और उन्हें भी इस बात का दुख है, खेद है और जो आसन की भावना को ठेस पहुँची है, हम सरकार की तरफ से खेद और दुख प्रकट करते हैं ।

यह जरूर सरकार की मंशा है और हमने पहले भी कहा है कि आसन का सम्मान किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, आसन का सम्मान पूरे सदन का सम्मान होता है, सभी जन-प्रतिनिधियों का यह समेकित सम्मान होता है और आसन का अगर सम्मान नहीं होगा तो यह पूरे बिहार की जनता की भावना का अपमान होगा । इसलिये सरकार हर हाल में आसन की गरिमा, आसन का सम्मान और आदर बनाये रखना चाहती है । भविष्य में किसी भी, या तो मंत्रिपरिषद के या सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा आसन के उपर न कोई आक्षेप लगे, न कोई ऐसी बात कही जाय जिससे कि आसन को ठेस पहुँचे । यह सरकार चाहती है और हम यही गुजारिश करेंगे ।

अंत में फिर से एक बार कि हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य के द्वारा ऐसी बात हुई है जिससे आसन की भावना को ठेस पहुँची है तो हमें खेद है, दुख है और माननीय संबंधित मंत्री भी, जिनके आचरण से सदन को या आसन को ठेस पहुँची है, वे भी अपने व्यवहार को स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी । हम आसन से इजाजत माँगते हैं कि संबंधित मंत्री को भी अपना आचरण स्पष्ट करने का मौका दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे किसी भी वक्तव्य से यदि आसन को कोई भी दिक्कत हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ । ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है, बड़ा स्पष्ट है । मैं आसन का सम्मान करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : महोदय... (व्यवधान)

<u>वित्तीय कार्य</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1984-85 के अधिकाई व्यय का विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021''

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के सूचीबद्ध कार्यक्रम के तहत अब बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 का व्यवस्थापन होगा । इसमें विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में सभी दल के माननीय सदस्य अपना-अपना पक्ष रख सकते हैं ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आज राज्य के संचित निधि से राशि निकासी है । माननीय वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक, 2021 के स्वीकृति पर चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव रखा गया है । हम इसके विरोध में बोलने के लिये खड़े हैं।

महोदय, राज्य की जो स्थिति है, अभी कुछ दिन पहले चुनाव सम्पन्न हुआ है, राज्य में जो चुनाव हुआ और जो तीन नम्बर की पार्टी थी, आज वह सरकार में बैठी हुई है । जिसको जनता ने मैनडेट दिया था सरकार के लिए, किस तरह से चुनाव में धांधली हुई, जिनको सरकार में रहना चाहिए था उनको किस तरह से प्रशासनिक तंत्र के द्वारा

रोका गया । आज राज्य में जो शासन चल रहा है, राज्य की जनता इससे खुश नहीं है । राज्य की जनता में, इनका जो शासन तंत्र है, पूरा इकबाल इनका खतम हो गया, सरकार का इकबाल नाम की कोई चीज नहीं है । राज्य में सत्ता संरक्षित लूट, सत्ता संरक्षित अपराध, सत्ता संरक्षित इस्टीमेट घोटाला, सत्ता संरक्षित शराब में धांधली, जो कानून बना है उसकी धज्जी उड़ रही है ।

....क्रमशः ....

टर्न-6/आजाद/17.03.2021

....क्रमशः .....

श्री ललित कुमार यादव : तो सत्ता संरक्षित अनेक घोटाले हैं महोदय, किस घोटाले का नाम दिलाऊं, 62 घोटाले अभी तक इस सरकार में, सृजन घोटाले जैसे घोटाले हुए हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री प्रेम कुमार ने आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, जिनका घर शीशा का होता है, वे दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं लेकिन ये हमेशा 16 साल की सरकार, यह 16 महीने की सरकार नहीं है, यह सरकार 16 साल की सरकार है । आप दूसरे की नाकामियों को गिनाने में लगे रहते हैं, खुद 16 साल आपको मौका मिला है, आपने क्या किया ? बिहार की जनता को क्या सुशासन, सुशासन बाबू न्याय के साथ विकास, सबका साथ, सबका विकास, न सरकार किसी को फंसाती है और न किसी को छुड़ाती है । महोदय, न किसी को फंसाती है और न किसी को छुड़ाती है सरकार तो हजारों घटनायें जो सत्ता संरक्षित हो रही है, कैसे घटना घट रही है ? महोदय, हमलोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं सत्ता के द्वारा, महोदय मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरे बिहार का आंकड़ा देना चाहता हूँ । एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने क्षेत्र का देना चाहता हूँ । एक व्यवसायिक वर्ग की जमीन है और सत्ता संरक्षित लोग व्यवसायिक वर्ग के लोग वाजितपुर ओ0पी0 200 फीट पर उसकी जमीन है व्यवसायिक वर्ग के लोगों की जमीन है, उसपर जबर्दस्ती अवैध शराब का काम करते हैं, लोग शाम में बैठे रहते हैं, अपराधी किस्म के और जमीन वाले लोग हैं । उप मुख्यमंत्री जी, आपकी ही स्वजाति के लोग हैं । आपको गौरव होगा, आप तो विनियोग विधेयक पेश किये हैं, आज इतने विभाग का अनुदान मांग आया है, कल तक गृह विभाग का अनुदान मांग आया है और आप संचित निधि के माध्यम से आप सदन से इजाजत चाहते हैं, सदन आपको इजाजत दे खर्च करने का, महोदय क्यों दे इजाजत ? जब सरकार को पहले से जो राशि मिलती है, सरकार के खर्च का अनुपात देख लें, इनके खर्च का अनुपात और इनका जो अनुदान मांग है, दोनों में महोदय बहुत

अन्तर है । यह डबल इंजन की सरकार है । हमलोग इस सदन में 27 साल से सदस्य हैं । महोदय, हमने बहुत लोगों को इधर देखा, बहुत लोगों को उधर देखा है, बहुत लोगों को आसन पर देखा है और बहुत लोगों को अभी नीचे देख रहे हैं । बहुत लोग हैं, बहुत लोग स्वर्ग पधार गये, लेकिन आसन और यह सदन गवाह है अभी तक 15-16 लोग विधान सभा के अध्यक्ष बने हैं, जिनका फोटो लगा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय का । बहुत लोग सत्ता में भी और सरकार में भी आये । उन लोगों में से भी बहुत लोग चले गये, एक से एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे आये, आजकल जनननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह नकल करना चाहते हैं, आज कथनी और करनी में अन्तर है। जो कर्पूरी ठाकुर की कथनी थी वही करनी थी । आज जो सुशासन बाबू है न्याय के साथ विकास है, कहां है महोदय सुशासन ? लूट, हत्या, बलात्कार पूरे राज्य में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनायें में बढ़ोतरी हो रही है । इसी सदन में हमलोग अनेक बार प्रश्न लाये हैं गृह विभाग के माध्यम से कि इतने लूट, हत्या, बलात्कार आप कह रहे हैं कि शराबबंदी में इतनी गाड़ी 47 हजार गाड़ी पकड़ायी, 47 आदमी को क्यों नहीं पकड़े, गाड़ी तो पकड़ लेते हैं और अपनी पीठ अपने थपथपा रहे हैं, हम सुशासन बाबू है, आपके कहने से सुशासन बाबू नहीं होगा । यदि सुशासन बाबू आप रहते तो आपको दो तिहाई बहुमत मिलता, आप 43 पर नहीं आते । आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए । आप कहां है......

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, आप आसन को कृपया देखिए ललित बाबू ।

श्री ललित कुमार यादव : पिछले दरवाजे से आने वाले लोग ऐसे टोका-टोकी नहीं करते हैं । हमलोगों को पिछले दरवाजे से आने की आदत नहीं है, हमलोग सामने से आते हैं और जाते हैं । महोदय, यह सरकार अपनी पीठ अपने आप थपाथपा रही है । ये सुशासन बाबू, न्याय के साथ विकास । हम बताये हैं कि माननीय उपमुख्यमंत्री जी के व्यवसायी लोग हैं, आप उसके बारे में पता कर लीजिए । 200 फीट थाना वाजितपुर ओ0पी0 के बगल में और थाना प्रभारी को हमने फोन किया भाई ये लोग व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, इनके जमीन को क्यों कब्जा करा रहे हो । उसके बाद उसपर फूस बनवाकर उसके घर पर और अवैध कारोबारी और गुंडा और असामाजिक तत्व वहां पर शाम में बैठता है थाना के बगल में । कागज महोदय उपमुख्यमंत्री का है, सरकार का है, किसी व्यक्ति का है और कोई अपराधी किस्म के थाना के बगल में कोई अवैध काम कर रहा है जबकि जमीन उपमुख्यमंत्री जी का है और दूसरा अवैध लोग उसपर बैठता है और अवैध कारोबार करता है तो यह क्या है, यह सुशासन बाबू का काम है, यह सुशासन है तो कुशासन क्या है,

यही बता दीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपको ही जवाब देना होगा ? यदि सुशासन है तो कुशासन क्या है ? महोदय, आज सत्ता संरक्षित जितने भी अपराध हो रहे हैं, हमलोग महोदय, विपक्ष के लोग हैं, हमलोग यदि विपक्ष के लोग सदन में बोलते हैं, सरकार जवाब नहीं देती है । हमलोग सदन में बहिर्गमन करते हैं तो आपलोग कहते हैं कि सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं । सरकार का उत्तर माकूल नहीं आये महोदय, हम जो प्रश्न पूछते हैं सरकार माकूल जवाब नहीं देती है। यह बिहार की जनता का सदन है, 12 करोड़ जनता का यह सदन है और इस सदन में महोदय सरकार को और विपक्ष को दोनों के लिए जगह है महोदय । सरकार की भी अपनी दायित्व है और विपक्ष का भी अपना दायित्व है । यदि हम अपने विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करे तो सरकार को क्या कड़वाहट लगता है । बैठे-बैठे मंत्री जी बोलते रहते हैं, किस आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हैं लोग, किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, कितना बात आपको महोदय बताऊं, एक महाभारत की कहानी बन जायेगी जो सरकार के लोग कर रहे हैं, उसका । कभी आसन को रूलाने का काम करते हैं, कभी विपक्ष को डराने का काम करती है सरकार । मैं अभी बता रहा हूँ कि ......

श्री नन्दकिशोर यादव : ललित जी, महाभारत का कृष्ण तो यहां बैठा हुआ है, क्या हाल रहा आपका ?

श्री ललित कुमार यादव : असली कृष्ण इधर है, उधर नकली बैठे हुए हैं ।

महोदय, इस शासन के 16 वर्ष हो गये, मैं बता रहा था कोई 16 महीने नहीं हुए हैं । अब यह सरकार दूध पीती बच्ची नहीं है । यह सरकार वयस्क हो गई है महोदय और राज्य की जो दुर्दशा हुई है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है । माननीय शिक्षा मंत्री जी इसी सदन में हैं, मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूँ । मैं एक पत्र लिखा अपने क्षेत्र के एक मदरसा के बारे में, माननीय मंत्री जी को वह पत्र प्राप्त है । माननीय मंत्री जी ने बड़ी बारीकी से पढ़ा और 10 दिनों के बाद मैंने प्रश्न किया महोदय, उसके बाद मैं ध्यानाकर्षण लाया । पत्र का तो सरकार में जवाब देने की आदत नहीं लगती है । विपक्ष को यह समझते हैं कि इनका विपक्षी कार्यकर्त्ता है, जो क्षेत्र में वोट नहीं देता है, हमलोगों के माननीय सदस्यों को भी यही ये साबित करना चाहते हैं । ऐसा नहीं है माननीय मंत्री जी, सरकार में रहने का आपको मैनडेट मिला है, हमको विपक्ष में बैठने का मिला है । मेरा भी दायित्व है और आपका भी दायित्व है । हम हर सवाल आपसे पूछेंगे जो आप गलत सवाल करेंगे, हम हर सवाल का जवाब लेंगे । लेकिन आप जवाब देने में अक्षम हैं । इसलिए हम कहते हैं कि आप सुशासन बाबू नहीं हैं । न्याय के साथ विकास

नहीं है और ऑन रिकॉर्ड है, विधान सभा की प्रोसीडिंग में है । मैं ध्यानाकर्षण लाया, नेहाल साहब अभी है, अभी सलाउद्दीन साहब हैं । सारे हमारे माइनोरिटी समाज के माननीय विधायक लाये और इसमें यही था महोदय कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अनैतिक काम, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे अवैध अध्यक्ष को कोई काम करने का नैतिक अधिकार नहीं है, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं है । महोदय, ध्यानाकर्षण आया, विजय चौधरी जी काबिल मंत्री हैं, शिक्षाविद् हैं, बैंक से रिटायर्ड हैं, इसलिए ज्यादे एकाउंटेंसी भी जानते हैं। हमलोग तो आर0जे0डी0 वाले लोग हैं, बहुत कुछ जानते नहीं हैं । महोदय, अपने ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिया, एक मदरसा में दिया कि अपीलीय प्राधिकार में मामला लंबित है, इसीलिए आप अपीलीय प्राधिकार में जाइए । वह ध्यानाकर्षण में है महोदय, ये जो जवाब दे रहे थे । काबिल मंत्री हैं, शिक्षाविद् हैं लेकिन इनको जानकारी भी रखनी चाहिए । जो जवाब आप कह रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकार में जाइए, वह बात अपीलीय प्राधिकार का ध्यानाकर्षण में भी था कि यह अपीलीय प्राधिकार में मामला लंबित है तो मंत्री जी आप किसी हैसियत से जवाब दे रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकार जाय । हम सरकार को संज्ञान में दे रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकार में यह लंबित मामला है और मंत्री जी कह रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकार में जाय, इसका प्रोसीडिंग है महोदय । मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रोसीडिंग में है, रिकॉर्ड निकाल कर देख लिया जाय।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, ...

श्री ललित कुमार यादव : अभी बहुत कुछ कहना था, एक बार जवाब दे देते तो अच्छा रहता, अभी और हमको कहना है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी का सुन लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपको बहुत कुछ कहना है तो आप कुछ कहिए लेकिन आप क्या कह रहे हैं, वह भी जरा सदन को समझने दीजिए ।

महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, चूँकि बात इन्होंने छेड़ दी है तो हम बता देना चाहते हैं ।

.. क्रमशः ..

टर्न-7/शंभु/17.03.21

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : आपको बहुत कुछ कहना है तो आप बहुत कुछ कहिये, लेकिन आप क्या कह रहे हैं वह भी जरा सदन को समझने दीजिए । महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं चूंकि बात इन्होंने छेड़ दी है तो हम बता देना चाहते हैं । एक मदरसा में दो कमिटी की आपस में अदावत मतलब उनका दो गुट में विवाद है । उसमें

एक गुट ने अध्यक्ष के यहां अपील किया और अध्यक्ष ने सुनवाई करके उन दोनों में से एक के पक्ष में फैसला दिया और नियमानुसार अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने या उसके विरूद्ध अपील करने की विहित प्रक्रिया निर्धारित है जिसके तहत शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहां जिस पक्ष के लिए ये कह रहे हैं उस पक्ष ने अध्यक्ष के उस फैसले के खिलाफ अपील कर रखी है पूरी बात को स्पष्टता से समझिए कि.......

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, फिर गलतबयानी कर रहे हैं सदन में ऑन रिकॉर्ड है प्रोसीडिंग निकालें- हम कह रहे हैं महोदय, जो अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामला है और माननीय मंत्री जी जवाब में कह रहे हैं कि इसको अपीलीय प्राधिकार में जाना चाहिए । अपीलीय प्राधिकार जो विशेष सचिव स्तर की बनी हुई है उसके पास आप जाइये और हम कह रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकार में पहले से लंबित है और अध्यक्ष को इसमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं था ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इनको वही नहीं स्पष्ट हो रहा है कि अध्यक्ष ने किसी एक पक्ष के लिए फैसला दिया है और नियम है कि जो एग्रीव्ड यानी जिसके पक्ष में फैसला नहीं होता है, अध्यक्ष के उस फैसले के खिलाफ वह जो सक्षम प्राधिकार है उसके यहां अपील करता है, जो इस मामले में अपील हो चुका है । वही हमने कहा है कि ये मामला सक्षम प्राधिकार के यहां अपील के रूप में लंबित है । यही तो हमने कहा है ।

(व्यवधान)

श्री मो0 नेहालुद्दीन : महोदय, माननीय मंत्री जो कह रहे हैं जिस सदन यह सदन में आया 15 तारीख के इन्कलाब में फन्ट पेज पर लिखा हुआ है कि जिस दिन यह सवाल सदन में आया उस दिन से लूट का बाजार और ज्यादा गरम हो गया है और ज्यादा वहां पर शैतानी कर रहे हैं तो क्या यह मान लिया जाय कि वह अध्यक्ष पैसे के बुनियाद पर ये सारा धंधा कर रहे हैं या करवा रहे हैं ?

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : ललित जी, बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय सदस्य नेहाल साहब ने बड़ी गंभीर बात कही है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप आसन की ओर देखकर बोलें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ये बहुत कुछ नहीं कहेंग चूंकि कोसी इलाके के लोग हैं बहुत कुछ जानते हैं ये भी । महोदय, ये लोग बैंक से आये हैं एकाउन्टेंसी जानते हैं और जिस संस्कार में पैदा लिये हैं, बड़ा उज्ज्वल संस्कार में लिये हैं । इसीलिए छोटी बात को भी,

गलत बात को भी इतना घुमायेंगे कि जलेबी से भी बड़ा हो जायेगा । माननीय विजय चौधरी जी, आपको मैं चुनौती देता हूँ कि आप बोल रहे हैं उसका प्रोसीडिंग भी है, प्रश्न भी है, ध्यानाकर्षण भी है और आपका पत्र भी है तीनों को आसन जॉच कर ले । मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा अगर गलत बोल रहा हूँ और आपको हिम्मत है तो मंत्री पद से इस्तीफा कीजिये । आपको हिम्मत है तो घोषणा कीजिये, आपको हिम्मत नहीं है चूंकि असत्य- नेहाल साहब ने क्या कहा ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : असत्य कहा जाय ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप सुधार दीजिए । महोदय, आसन पर काबिल लोग बैठे हुए हैं, मंत्री भी आप रहे हैं अनुभवी हैं । हमसे ज्यादा टर्म के आप अनुभवी हैं । आप उसको असत्य में बदल दीजिए यह तो आप आदेश दे दीजिये कार्यवाही में हो जाय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आदेश दे दिये हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, लेकिन विजय बाबू जिस तरह से घुमा रहे हैं । अपने जवाब में कहे कि अपीलीय प्राधिकार में जाना चाहिए और हमलोग का प्रश्न ही वही था तो कैसे चेयरमैन अपीलीय प्राधिकार में लंबित था अपने ही आदेश का- या सचिव का इनका जो नियम बना हुआ है कि विशेष सचिव के कोर्ट में लंबित रहेगा तो चेयरमैन कोई आदेश नहीं कर सकता है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, 36 मिनट मेरा समय है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका 15 मिनट है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, 36 मिनट है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : ठीक है तो और लोगों को छोड़ दीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : मैं जितनी देर बोलूंगा बोलता रहूँगा शेष समय में और लोग बोलेंगे ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : ठीक है, बोलिये आप ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ठीक है, आसन ने समय दिया इसके लिए धन्यवाद । महोदय, इनका हाईकोर्ट का रूलिंग है, निर्णय है कि उस अध्यक्ष को कोई काम करते हैं अनैतिक काम करते हैं, लोग हाईकोर्ट गये, बोर्ड को अधिकार है और फिर वह डबल बेंच में गया तो डबल बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच में जाओ जो न्यायालय का आदेश हो उसका पालन करो । महोदय, किसी कानून से इनको मतलब नहीं है, इस सरकार को किसी संविधान से मतलब नहीं है, सरकार को विधान सभा से मतलब नहीं है । महोदय, यह सरकार तो बहुत आगे निकल चुकी है जिस तरह से दुर्योधन निकल चुका था अनिष्ट और

विनाश करने के लिए उसी तरह से सरकार अनिष्ट और विनाश की ओर जा रही है । इस सरकार को कितना दिन- कोई भी सत्ता में आया है विजय बाबू आज वहां हैं कल यहां आइयेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन यह सदन साक्षी होगा, प्रोसीडिंग गवाह होगी, इतिहास साक्षी होगा आपको कहीं भी लोग दिखायेगा कि यह आप ही का आदेश है न विजय बाबू- बोलते हैं कुछ, कथनी कुछ करनी कुछ, यह सरकार है ? घोटालेबाज की सरकार है, 63 घोटाला इस सरकार में हुआ है, कितने घोटाले का नाम बताया जाय, सृजन जैसा घोटाला, कितना घोटाला है महोदय, घोटाला ही घोटाला । दूसरे को घोटालेबाज कहते हैं अरे जिस दिन डबल इंजन से उतर जाइयेगा उस दिन किस कठघरे में बंद होइयेगा, कोई देखनेवाला नहीं मिलेगा । बिहार की जनता देख रही है, किस कठघरे में जाइयेगा।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : ललित जी, आसन की ओर देखें आप ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, अभी तो डबल इंजन है आसन जानता है । ये लोग कहते हैं कि इधर भी मैं, उधर भी मैं- एक आदमी के पुत्र को गलत हरकत करते देखा तो उसके पिताजी को शिकायत करने गया तो उसके पिता जी को देखा कि छप्पर से ही गलत हरकत कर रहा है । इसलिए कहां जाऊँ तो यह सरकार समझ रही है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, मेरे उपर बैठा हुआ है, लेकिन उस उपर से भी एक उपर है, कितना दिन खैर मनाइयेगा । महोदय, आज न कल जब जॉच होगी इस सरकार के कारनामे का तो कोई नहीं बचेगा । सरकार तो आती है, जाती है किसी का इतिहास है ? इंदिरा गांधी से ज्यादा मैनडेट किसी को मिला क्या ? इस राज्य में लालू प्रसाद यादव से ज्यादा मैनडेट आपको मिला क्या ? लेकिन विजय बाबू, तारकिशोर बाबू सुशासन कहने से नहीं होगा यदि सुशासन है तो उसको जमीन पर उतारिये । कौन विधायक नही जानते हैं कि इनके क्षेत्र में एक दरोगा सुनता है क्या ? एक बी0डी0ओ0 सुनता है क्या ? विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, विपक्ष के साथी को तो आप समझते हैं कि जो जनता आपको वोट नहीं देती है तो इसका काम नहीं करना है विपक्षी कार्यकर्त्ता की तरह विपक्ष को समझते हैं । आप संविधान का गला रेत रहे हैं, आप विधान सभा में कोई सही जवाब नहीं देते हैं, आप किसी संस्था को मानने के लिए तैयार नहीं हैं । आप दूसरे को क्या बताना चाहते हैं, आप दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि आप घोटालेबाज हैं, आपकी जांच होगी तो पता चलेगा कि आप कितने बड़े घोटालेबाज हैं । जितनी बड़ी जेल होगी, लेकिन जगह नहीं मिलेगा । दूसरे को उंगली मत दिखाया कीजिए जिस दिन सत्ता से हटियेगा, दूसरी सरकार आयेगी जॉच होगी उस दिन पता चलेगा कि आप ईमानदार कि मैं ईमानदार । आज परीक्षा

नहीं हो सकती है आज डबल इंजन है । आज छत पर से पिता जी हरकत करते हैं, नीचे से भी तो दोनों मिला हुआ है । आज हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है । जिस दिन जॉंच होगी उस दिन पता चलेगा कि सत्ता किसी के लिए सब दिन की जागीर नहीं है । सत्ता आती है, सत्ता जाती है, हम भी आज एम0एल0ए0 हैं और 27 साल से इस सदन के सदस्य लगातार हैं, लेकिन हो सकता है हमलोग भी रहें या नहीं रहें, लेकिन इस तरह से मनमानी नहीं कीजिये । यहां स्वास्थ्य विभाग का मुजफ्फरपुर में 50 कि0मी0, 60 कि0मी0 पर चमकी बुखार आया तो मंत्री को जाने में कितने दिन लग गये, मुख्यमंत्री को जाने में कितने दिन लग गये आपकी जनता के प्रति यही जवाबदेही है, यही सुशासन बाबू हैं ? आपके केन्द्रीय मंत्री आये तो वे ऊंघा रहे थे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे तो वे क्रिकेट का स्कोर लिख रहे थे भाई, सत्ता के नशे में चूर हैं, आप चूर रहिये ।

क्रमशः

टर्न-8/ज्योति/ 17-03-2021

क्रमशः

श्री ललित कुमार यादव : भाई सत्ता है, सत्ता के नशा में चूर हैं, आप चूर रहिये, आप सत्ता के नशा में चूर हैं, चूर रहिये । महोदय, थाना बिना डायरी के..

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कुछ बोलना चाहते हैं माननीय सदस्य ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, ललित जी को बोलने दिया जाय, ललित जी नेता प्रतिपक्ष से बेहतर बोल रहे हैं भले ही नेता विरोधी दल इनको नहीं बनाया गया होगा, इनको बोलने दीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं । हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और रहेंगे इसमें कोई कोई ललित यादव को प्रतिद्वन्द्वी नहीं बनना है । तेजस्वी प्रसाद नेता हैं, वे रहेंगे । वे हैं या नहीं हैं, हम लोग तमाम लोग उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । महोदय, अनेक थाना हैं, जो सत्ता संरक्षित लोगों को कैसे फायदा पहुंचाता है । सत्ता संरक्षित अपराधी को कैसे ? डायरी नहीं दे रहा है, आप कहिये, अनेक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं । अनेक उदाहरण दे रहे हैं । एक से एक सत्ता संरक्षित अपराधी को केस डायरी समय पर नहीं जाने से न्यायालय से उसको बेल मिल जा रही है । आज जॉच करा लीजिये । कहिये हम बता देते हैं कितना केस नंबर जानना चाह रहे हैं, कौन कौन थाना मे जानना चाहते हैं, हम बता देते हैं, आप किस पर कार्रवाई

कर देते हैं । एक मुंशी पर कार्रवाई कर देते हैं महोदय, आप वहॉ के एस.पी.पर क्यों नहीं करते हैं, डी.एस.पी. पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं जिनके गलत दबाव के कारण सत्ता संरक्षित अपराधी को फायदा पहुंचाया जाता है । आप कहिये केस डायरी यह है वाजितपुर ओ.पी का है, देहरा थाना का है बहुत थाना का है । महोदय, एक हमलोगों के यहॉ डी.एम.सी.एच. अस्पताल हैं अब शायद संजय सरावगी सरकार में रहते रहते लड़ते लड़ते प्रश्न उठाते उठाते ध्यानाकर्षण उठाते उठाते महोदय, वहॉ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है सरकार को हिम्मत है जॉच करायेगी ? एक वहॉ का विधायक वहॉ से मंत्री हैं मुकेश सहनी जी अपने जिला के डी.एम.सी.एच. जो कभी नेपाल और बंगाल से भी लोग आते थे उस अस्पताल की यह दुर्दशा है, सूअर का मल जमा रहता है, सूअर बेड पर सोया रहता है, कुत्ता सोया रहता है जो उत्तर बिहार का एक गौरवशाली, आज का वह नहीं है महोदय, डी.एम.सी.एच., संजय सरावगी जी का यह रिकॉर्ड है, प्रोसीडिंग्स है भाई, देख लो हो सकता है उस समय में सदस्य नहीं होंगे इसलिए जान लो प्रोसीडिंग्स है ...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आप आसन की तरफ देखें ।

श्री ललित कुमार यादव : और प्रोसिडिंग्स है यदि एक शब्द भी गलत कह रहा हूॅ तो जो चुनौती दीजियेगा स्वीकार कर लूंगा । थक गए महोदय, भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी की ताकत है, इस सरकार में जितना बड़ा भ्रष्टाचार का हाथ है, यह सरकार जितनी भी भ्रष्टाचारी हैं और यह सरकार आखंड में डूबी हुई है और इस सरकार मे कोई अंत नहीं है भ्रष्टाचारी का और हार गए संजय सरावगी जी हम भी चाहते थे मामला को तो हम कहे तू सत्ता पक्ष है तू लड़ो हम लड़ेंगे तो हार ही जायेंगे तुम लड़ो । यह लड़ते लड़ते प्रोसिडिंग्स है महोदय, कम से कम दस बार विधान सभा के प्रोसिडिंग्स में प्रश्न काल, ध्यानाकर्षण और वेल तक नहीं आने का सत्ता में कोशिश करते थे लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी, सरकार कुछ नहीं कर पायी और अभी भी वही भ्रष्टाचार क्यों ? भ्रष्टाचारी इतना बड़ा है महोदय, सरकार से बड़ा है । आज इतने बड़े पैरेलल आर्थिक शराबबंदी चल रही है, कितनी बड़ी पैरेलल सरकार बन रही है सरकार की कोई हिम्मत है उस गिरोह को पकड़ने का, सरकार ही गिर जायेगी । सरकार अपना तीन नंबर की पार्टी है सरकार में आयी गयी, अनुकम्पा पर चल रही है सरकार, और सरकार कह रही है कि किसी तरह से अनुकम्पा पर खींचो भाई हम ज्यादा बोलेंगे तो हो सकता है, कौन पार्टी के लोग होंगे, सत्ता के लोग होंगे हम मुख्यमंत्री की कुर्सी बचायें कि हम शराबबंदी कानून जो हम लागू कर दिए

उसको और पूर्ण रुप से लागू करें । सरकार महोदय, समय काट रही है । इसलिए हमलोगों को संचित निधि से जितने मांगों का अनुदान मांगा गया है और संचित निधि के माध्यम से वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री जी आज सदन में मांग करना चाहते है तो हमलोग इसके लिए तैयार नहीं है इस सरकार को किसलिए दें राशि महोदय ? यह संचित निधि से राशि खर्च करेंगे, किसलिए दूं ? इसलिए दूँ कि विभाग की पहले भी स्थिति ठीक नहीं है जो कुछ खर्चा होता है घोटाला और भ्रष्टाचार में चला जाता है । घोटाला और भ्रष्टाचार के लिए इस सरकार को फिर से संचित निधि की राशि से विनियोग विधेयक के माध्यम से इनको राशि दी जाय महोदय, मैं खासकर इस सदन से आग्रह करुंगा कि इस सरकार को कोई नैतिक जिम्मेवारी और नैतिक अधिकार नहीं है जो हम संचित निधि से जो सभी विभाग की अनुदान मांग आयी है, आज उनको संचित निधि से पास कराने के लिए सदन से दरख्वास्त कर रहे हैं । हमलोग इस पक्ष में नहीं हैं, सदन इस पक्ष में नहीं है, हमलोग कह रहे थे कि कितने घोटाले की हमलोग बात करें यह सत्ता संरक्षित घोटाला है । सत्ता संरक्षित और्गेनाईज्ड एस्टीमेट घोटाला है । सत्ता संरक्षित बहाली घोटाला है । हर गलत काम सत्ता संरक्षित हो रहा है । जब हर काम सत्ता संरक्षित हो रहा है तो हमको नहीं लग रहा है इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार है इस सदन से संचित निधि से राशि मांगने का जो सरकार ने दरख्वास्त की है । महोदय, ये लोग कहते हैं सुशासन, न्याय के साथ विकास न किसी को फंसाती है, न किसी को बचाती है महोदय, अभी सभी पार्टी का कार्यालय है । आप केवल जदयू का कार्यालय देख आइये । लगेगा कि जदयू का कार्यालय फाइव स्टार होटल की तरह और जो राष्ट्रीय जनता दल, बी.जे.पी. को जमीन मिली है उससे चौगुना, पाँच गुना तो कहे तो कौन कहने वाले हैं ? भाई आपकी कितने नंबर की पार्टी हैं और कितना बड़ा कार्यालय चाहिए ? उसके लिए मानक होना चाहिए कार्यालय का, आप सत्ता में हैं । आप सत्ता का दुरुपयोग करके फाइव स्टार की तरह सरकारी राशि को खर्च करते हैं । यह आपका पैसा नहीं है, यह गरीब गुरबा किसान मजदूर का पैसा है । किसी के बाप की बपौती नहीं है । यह गरीब जनता की गाढ़ी कमाई की राशि है, उस गाढ़ी कमाई की राशि को सत्ता पानी की तरह लूटा रही है । अपने कार्यालय और ऐशो-आराम पर खर्चा करना चाहती है यह सरकार । हमलोग विपक्ष के सदस्य हैं हमलोगों को तीन बॉडी गार्ड मिलता है । तीन दिन पर बदली करेंगे, कोई आदमी रहेगा तो उसको रहने नहीं देंगे । 15 साल से हमारे साथ एक कुमोद यादव था, हमको हाउस गार्ड राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री के दस्तखत से यह मुख्य सचेतक का पद मिला हुआ

है । मेरा इस सरकार ने हाउस गार्ड उठा लिया और जदयू के कार्यकर्ता के पास हाउस गार्ड है जो न एम.एल.ए. हैं न एम.एल.सी. हैं । मैं चुनौती देता हूं सरकार को, जॉच करा दें । केवल विपक्ष के लिए कानून है महोदय ? यही सुशासन बाबू है ? विपक्ष के लिए कानून है ? यहीं पर सम्राट चौधरी हैं मंत्री हो गए, पूछ लीजिये ये मुख्य सचेतक राष्ट्रीय जनता दल थे, इनके पास हाउस गार्ड भी था, इनको मकान भी मिला हुआ था, हमलोग तो मकान की मांग भी नहीं किए लेकिन हमलोग महोदय, जाते हैं तो हाउस गार्ड कहीं मिलता है हाउस गार्ड ....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, जब मैं सत्ताधारी दल का मुख्य सचेतक था, विरोधी दल का भी मुख्य सचेतक था, आजतक मेरे घर पर कोई हाउस गार्ड नहीं था और जहॉ तक मकान का सवाल है तो मकान जिस नियमावली के तहत हमको मुख्य सचेतक बनाया गया है और जो नियमावली है उसके हिसाब से हमको मकान आवंटित किया गया है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय ललित बाबू ....

श्री ललित कुमार यादव : ये संसदीय कार्य मंत्री नहीं है और हम बोल लेते तो सफाई देते । महोदय...

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : नहीं हूँ लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर आप आक्षेप कर रहे हैं और सदन में वह व्यक्ति बैठा है और अगर उसका जवाब नहीं देता है इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उसको कबूल करते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : सम्राट चौधरी मुख्य सचेतक थे अब ये गांधी जी हैं महोदय, यह लोहिया जी हैं महोदय, ये जयप्रकाश जी हैं महोदय, ये आधा ही वस्त्र पहनेंगे तो इनको कोई रोक देगा महोदय । आप मत लीजिये कोई चीज की सुविधा आप गाड़ी से भी नहीं जाइये पैदल, आइये घर से यहॉ लेकिन यह कहिये कि दूसरे को नहीं मिले ।

क्रमशः

टर्न-9/पुलकित-अभिनीत/17.03.2021

क्रमशः

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, आप मंत्री हैं, मुख्य सचेतक हैं, हमलोग प्लेन से नहीं जा सकते हैं, ये मंत्री हैं तो जा सकते हैं लेकिन मुख्य सचेतक की हैसियत से ये नहीं जा सकते हैं । महोदय, विपक्ष पर जितना ये प्रहार, ये जितना कड़ा कानून लायें विपक्ष इनके कड़े कानून और इनके गलत प्रभाव से डरने वाली नहीं है । महोदय, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे यह समझ ले सरकार, हमलोग ईंट का जवाब सरकार को पत्थर से देंगे । आप में दोष है....

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आपका समय मात्र चार मिनट बच रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, 36 मिनट हमलोगों का है, आपने तो 15 मिनट माननीय मंत्री जी को दे दिया, वो समय महोदय कहां जायेगा । महोदय, सरकार को तो अच्छी नहीं लगती होगी मेरी बात, यदि आसन को भी खराब लगता हो तो बैठ जाऊं महोदय, नहीं तो मेरा 36 मिनट का समय था 15 मिनट सरकार के लोग....

सभापति (श्री प्रेम कुमार): बोलिए, आपका जो समय है पूरा बोल लीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव: इसलिए महोदय, इसी सदन में समाज कल्याण विभाग का प्रश्न आया महोदय, आज क्या हो रहा है माननीय सदस्य से, सभी से सत्ता पक्ष, विपक्ष से पूछ लीजिए गरीब बच्चे के लिए जो पोषाहार जा रहा है उसमें महोदय लूट हो रही है । प्रत्येक महीना यदि नहीं देगा तो गरीब बच्चे को कोई अनाज नहीं मिलेगा, कोई पोषाहार नहीं मिलेगा । यह सुशासन बाबू हैं, न्याय के साथ विकास है । जब न्याय के साथ यही सुशासन बाबू हैं, गरीब का पोषाहार खा जा रहा है, राशन-किरासन गरीब का खा जा रहा है । महोदय, मेरा एक प्रखंड है सदर प्रखंड दरभंगा, एक करोड़ का महीना में कालाबाजारी खाद्यान्न गरीब का होता है, सरकार में दम है तो जांच करा दे । सरकार जांच नहीं करायेगी महोदय, सत्ता, संरक्षित लूट हो रही है गरीब की, सरकार में हिम्मत कहां है जांच कराने की । यदि सरकार में दम है और सच सुनने की शक्ति है तो जांच करा दे । महोदय, यह कौन सा, हमलोग भी देख रहे हैं महोदय, आप भी महोदय इतने दिन से इस सदन के सदस्य हैं, एक से एक प्रश्न आयें महोदय, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का वित्तीय अनियमितता, निहाल साहब बतायें जिस दिन से उस पर ध्यानाकर्षण आया उसकी फीस बढ़ गयी । कहां जा रही है फीस ? कोई आदमी तो है जो उससे फीस ले रहा है । उसको सत्ता, हाईकोर्ट ने कहा उसको पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है वो अनैतिक काम कर रहे हैं । आपका विधान, आपके विभाग के प्रधान सचिव ने जांच किया और जांच कमिटी ने रिपोर्ट दिया, यह अनैतिक काम और गलत काम कर रहे हैं, आप सत्ता संरक्षित नहीं हैं तो और क्या हैं महोदय ? महोदय, उतना ही नहीं थ्री मैन कमिटी इनका विभाग ने बनाया उसमें भी दोषी पाया, मंत्री जी कहते हैं कि और गहराई से जांच करेंगे, और गहराई से महोदय, यह गहराई का क्या फार्मूला है महोदय । इतनी जांच पर जांच, न हाईकोर्ट को मानेंगे, न विधान सभा को मानेंगे, न विभाग की कमिटी के जांच रिपोर्ट को मानेंगे, कहेंगे विभाग की जांच कमिटी में थोड़ी और गहराई से दोषी तो हैं और जांच होनी चाहिये । यह जांच की गहराई, गहराई के जांच का पैमाना क्या है? सुशासन महोदय, आखिर कुशासन महोदय या और कुछ है जो हम नहीं बोलना चाहते, कोई टैक्स उक्स का मामला है महोदय क्या ? महोदय, आपको गहराई से महोदय

जांच कराना होगा सदन को जरूर कोई टैक्स का मामला है । सरकार को हिम्मत है महोदय, ये दूसरों का जिनका घर खुद शीशे का हो वे दूसरे पर पत्थर क्या फेकेंगे । जो भ्रष्टाचार के आकंठ में, जो खुद सरकार डूबी हुई हो, दूसरे को कहेगी कि भ्रष्टाचारी है, बहुत बड़ा आपको नॉलेज है दूसरे को ज्ञान बखारने के लिए, यदि ज्ञान है आपको तो दिखना भी चाहिये । आप कोई जवाब देते हैं सदन में तो सदन को संतुष्ट भी होना चाहिये । सदन में केवल जलेबी जैसे घुमाने से नहीं चलेगा, यह रिकॉर्ड में है, आज न कल आपको इतिहास माफ नहीं करेगा ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले को, गोपनीयता की शपथ लेने वाले पर, हमलोग सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जनता के बीच ले जायेंगे ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, मात्र एक मिनट बचा है आपका ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, इस सरकार से हमलोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते । बिहार की जनता मान चुकी है यह सरकार भ्रष्टाचार में, यह नाम के सुशासन बाबू हैं, कर्म के कुशासन बाबू हैं । महोदय, अभी सत्ता संरक्षित जो लोग हैं, पूरे बिहार में मदरसा बोर्ड के माध्यम से सत्ता संरक्षित लोग सही लोगों को हटाकर गलत लोगों को बैठाया, इसीलिए सरकार मजबूर है, लाचार है । एक सौ जगह इनको, जदयू के कार्यकर्त्ता को हटाना पड़ेगा। ये जदयू के कार्यकर्त्ता को हटाना नहीं चाहते । इनसे नफरत और घृणा करने वाले लोग...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री ललित कुमार यादव: तब भी ये चाहते हैं आओ, आओ । उधर से कुछ आप दे दो, उधर से कुछ और आ जाय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जायं ।

माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा ।

श्री ललित कुमार यादव: आपको कुछ आने वाला नहीं है, गलतफहमी में मत पड़िये सरकार के लोग, विशेषकर के मंत्री जी को हम यह कहेंगे कि आप ये मत समझिये कि मदरसा बोर्ड के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को हम आपके.....

श्री विनोद नारायण झा: माननीय सभापति महोदय, आपने....

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार): कृपया बैठ जायं । माननीय सदस्य, श्री ललित बाबू कृपया बैठ जायं । प्लीज बैठ जाइये । माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा जी ।

श्री ललित कुमार यादव: आपने जो समय दिया, हम विनियोग विधेयक का विरोध कर रहे हैं और इस सरकार को एक रुपया राशि देने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री विनोद नारायण झा: माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ....

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप बैठ जाइये । एक मिनट रुक जाइये । बोलिये दूबे जी ।

श्री विजय शंकर दूबे: सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं । महोदय, प्रश्नकाल की घटना से प्रथम पाली में मतलब चर्चा होने लगी आसन से, आसन के मुखारविंद से सभी दलों के समय की उद्घोषणा होती है, वह आज नहीं हुई और आसन मतलब ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): निर्धारित होगा ।

श्री विजय शंकर दूबे: मतलब वह घोषणा आसन से होनी चाहिए ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा ।

श्री नन्द किशोर यादव: सभापति महोदय, ललित जी को हमें कुछ कहना आवश्यक है, शेरो-शायरी अगर नहीं होगी तो महोदय, आनंद नहीं आयेगा । आज बहस का अंतिम दिन है महोदय, ऐसा नहीं करिये । आप जो बार-बार ललित जी । आप क्यों बोल रहे हैं, मेरा ललित जी का अलग मामला है, आप क्यों बोलते हैं । ललित जी, दो शायरी सुनायेंगे। एक तो विजय जी को आप बार-बार कह रहे थे, मुझे एक पुरानी शायरी याद आ गई-

''जिसको आज मुझमें हजारों गलतियां नजर आती हैं,
कभी उसी ने कहा था तुम जैसे भी हो मेरे हो ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा ।

श्री नन्द किशोर यादव: एक और महोदय, इन्होंने जो भाषण दिया है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): ठीक है, आप समाप्त कर लीजिये ।

श्री नन्द किशोर यादव: महोदय, इन्होंने भाषण दिया, उस पर भी इनके भाषण पर भी मुझे एक शायरी याद आ रही है ।

''उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी,
अब शरीफ बन रहे हैं वे ऐसे, जैसे गंगा नहाए हुए हैं ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा जी ।

समय तय है, आप बोलने दीजिये । आप अपनी सारी बात रख दिये हैं ।

श्री ललित कुमार यादव: ये विधवा विलाप के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा जी । समय जाया हो रहा है, प्लीज बैठ जाइये । विनोद नारायण झा जी बोलिये ।

श्री विनोद नारायण झा: सभापति महोदय, अब ये लोग आपस में वाद-विवाद बंद करें तो फिर मैं शुरू हो जाऊं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): अच्छा ठीक है, विनोद जी जरा, एक मिनट जरा इनका भी सुन लीजिये।

श्री महबूब आलम: महोदय, ललित जी, मुखातिब थे अपने लोगों के प्रति, हमारे माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार जी के प्रति, हमारे विद्वान माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी के प्रति तो अपना दर्द बयान कर देते हैं महोदय कि-

''गैरो पे करम अपनो पे सितम,
ए जान-ए-वफा ये जुल्म ना कर
गैरो पे करम अपनो पे सितम,
ए जान-ए-वफा ये जुल्म ना कर ।''

तो यह बात है महोदय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा जी, आप शुरू कीजिये ।
माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाइये ।

टर्न-10/हेमन्त-धिरेन्द्र/17.03.2021

श्री विनोद नारायण झा : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आज ललित जी ने जो माहौल को विषाक्त कर दिया था मैं धन्यवाद देता हूं इन सदस्यों को, इन्होंने अपनी वाणी से अमृत घोलकर, जो विष था, इस विष को समाप्त कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि सभी सदस्यों ने अच्छी-अच्छी शायरी पढ़कर इसको अच्छा किया और उनका जो विष था, उसकी पावर खत्म हो गयी । सभापति महोदय, एन.डी.ए. के शासनकाल में और आज जिस तरह के बजट आये हैं, ये हमारे पुराने इतिहास के अनुरूप हैं । जब से सत्ता संभाली है, लगातार बिहार के विकास के नये-नये कीर्तिमान स्थापति हो रहे हैं और उसी कीर्तिमान को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान वित्तमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने जो भव्य और सुंदर बजट पेश किया था, आज उसका विनियोग आया है । सभापति महोदय, विनियोग हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है । हमारे लोकतंत्र में अनेक तरह की व्यवस्था की गयी हैं कि किस तरह सारी ओर से जनता के धन को उन कानूनों से बांधा जाय और अधिक-से-अधिक अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिये जायं, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसी में एक विधायी प्रक्रिया है इस विनियोग की । बजट तो पास हो गया और जब बजट पास हो गया तो बजट के रूप में आपने तिजोरी थमा दी सरकार को लेकिन

विनियोग के रूप में आप चाबी देंगे, उसको खोलकर उस रुपये को व्यय करेंगे । हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ? ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि रुपये का दुरुपयोग नहीं होता है, रुपयों का घोटाला नहीं होता है, रुपये की बर्बादी नहीं होती है । इसीलिए आज इस सदन से यह मांग रहे हैं और हमारे यहां एक पुरानी कहावत है कि जो बच्चा या जो परिवार का सदस्य अच्छा काम करता है, पूरा परिवार उसको सहयोग भी देता है और जो एक बार अच्छा काम करता है तो दूसरी बार और जो गलत करता है, उसको कभी नहीं देता, क्योंकि वह अपना विश्वास और साख खो देता है...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठिये, बैठिये ।

श्री विनोद नारायण झा : और इसीलिए इस विश्वास और साख को हमारी सरकार ने स्थापित किया है और इसीलिए पूरी विधान सभा का यह दायित्व है कि हम इस विनियोग को सर्वसम्मति से पारित करें और जो स्वीकृति का प्रस्ताव तारकिशोर जी ने मांगा है उसे हम देने का काम करें ।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन विकास की गारंटी है । सत्ता के रूप में जब-जब हम आये हैं, विकास के कीर्तिमान हमने स्थापित किये हैं । हमारे बजट में एक धारा होती है, वह धारा दिखती है, सिर्फ एक विभाग के रूप में नहीं, उसमें एक निरंतरता होती है और विकास के जितने भी आयाम हैं, वह सामाजिक न्याय का हो, विकास के विभिन्न क्षेत्रों का हो, मानव विकास सूचकांक का हो, अपराध पर नियंत्रण का हो, गरीबी उन्मूलन का हो या वह कमजोर तबके के लोगों के उत्थान का हो, हर दिशा में, हर दृष्टि में हमारा जो बजट होता है, वह दिखाई देने लगता है और यह बजट लगातार निरंतरता में चलता आ रहा है । वह गांव के गरीब हों या कमजोर समाज के लोग हों या जिस भी समाज के लोग हों, सबमें कैसे न्याय के साथ विकास हो, यह इसका रिफ्लेक्शन आता रहता है ।

सभापति महोदय, अभी 2015 में यू.एन.ओ. ने, जब अध्यक्ष थे विजय बाबू, तो उन्होंने एक सम्मेलन कराया था सतत विकास के लक्ष्य पर । 25 सितम्बर, 1915 को सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों ने दस्तखत से सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किये और वह लक्ष्य पृथ्वी, व्यक्ति की समृद्धि, गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने, एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की स्थापना के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किये हैं दुनिया ने, लेकिन हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन 17 में से 14-15 लक्ष्य ऐसे हैं, जिस पर बिहार सरकार पिछले 15 वर्षों से लगातार काम कर

रही है । दुनिया जिसने 15 में सोचा, बिहार सरकार ने 05 और 06 में सोचकर, उस पर काम शुरू कर दिया है । ये हमारी उपलब्धियां हैं । सभापति महोदय, विकास की यदि हम चर्चा करें, तो घंटों लग जायेंगे । ये विनियोग क्या, एक विभाग की चर्चा करें, लेकिन कुछ मैं मोटी बात कहना चाहता हूँ । बिहार का गौरवमयी इतिहास है । मेगस्थनीज चौथी सदी में पाटलिपुत्रा की धरती पर सेल्यूकस के एम्बेसडर के रूप में चंद्रगुप्त के शासन काल में थे, उन्होंने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्रा का विशद वर्णन किया है । सातवीं सदी में ह्वेनसांग भारत आये और वह आकर नालंदा में रहे छात्र के रूप में भी और नालंदा में शिक्षक के रूप में । उन्होंने इसके गौरवमयी इतिहास का बखान किया है, लेकिन सारी बातों के बावजूद बीच के कालखंड में बिहार निगेटिव बातों के लिये जाना जाने लगा था । मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, मुझे एक छोटी-सी बात याद आ रही है । हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, इसी पटना के इलाके में और गांव जाते थे, तो लोग कहते थे कि गोलघर पर चढ़ें या नहीं ? सबसे आइडियल बिल्डिंग गोलघर थी । बिहार कहीं दिखाई दे, उसमें यह गोलघर दिखता था । बिहार का एक तरह से मोनोग्राम गोलघर था । मैं जब बाकी दिनों में सोचने लगा कि क्या बिहार, जहां इतनी चीजें थीं, जहां चंद्रगुप्त, अशोक के शासन से लेकर चाणक्य की धरती है, क्या वहां का सिम्बॉलिक, जहां अनाज रखे जायेंगे, वह जगह है क्या ? मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ, उसका अपना एक महत्व है, लेकिन क्या वही मेरी पहचान है कि जब हम कभी भूखे होंगे तो उसमें से अनाज निकाल लेंगे । मैं धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को कि बिहार के सिम्बल को इन 15 सालों में बदलने का काम किया और इसने जब सभ्यता द्वार का निर्माण किया, तो आज बिहार का सिम्बल कोई गोडाउन नहीं है, वह बिहार का सभ्यता द्वार है, जिसमें अशोक की सभ्यता, महावीर के उपदेश उकेरित हुए हैं । विभिन्न आयाम हैं हमारे विकास के । सिर्फ रोड तो है ही, सड़कें तो हैं ही, बिजली तो है ही, लेकिन और भी इस विकास के आयाम हैं और वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के जो आयाम हैं, उन अनेक आयामों को छूते हुए, हमारी विकास की गति आगे बढ़ रही है । लोग कहते हैं सुशासन की बात, तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है और उसके अनुरूप हम आगे बढ़े हैं । पटना की धरती है, यह पाटलिपुत्रा की धरती है, यह जो बिहार आज हम देख रहे हैं, वर्ष 1912 में गठन हुआ, हार्डिंग इस देश में वायसराय थे, फर्स्ट गवर्नर के रूप में, लाट साहब के रूप में स्टूअर्ट वेली आये, चार सालों तक उन्हें पटना के कमिशनरी ऑफिस के निवास में रहना पड़ा मकान बनाने के लिये और चार सिग्नेचर बिल्डिंग बनीं । एक तो राज भवन, दूसरा बना सचिवालय, तीसरा बना पटना हाई कोर्ट और कालांतर में

तीन और बनीं । एक जिस विधान सभा में हम खड़े हैं वह बना, पटना का जी0पी0ओ0 बना, चौथा म्यूजियम बना । बीच के कालखंडों में मकान भी बने । 2 फरवरी, 1916 को महामहिम स्टूअर्ट वेली ने उसमें प्रवेश किया, बाकी मकान भी बने । मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन जब श्री नीतीश कुमार और श्री सुशील मोदी की सरकार, जदयू और भाजपा की सरकार बिहार में आयी, तब उस आयाम को आगे बढ़ाया । यदि सिग्नेचर बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनायी तो बाद के दिनों में जो सिग्नेचर बिल्डिंग बनी, जिससे बिहार का गौरव हुआ, वह गौरव इसी सरकार में दिया गया और वह बिल्डिंग बनी, वह पटना का मॉडर्न म्यूजियम हो, वह अशोक कन्वेंशन हॉल हो, वह बापू सभागार हो, वह पुलिस के लिये बना हुआ सरदार पटेल भवन हो या वह हज भवन हो या हमारा, इसलिए मैं कितना गिनाऊं । नालंदा में, गया में बाकी जगह और इस तरह बनती गयी, तो बिहार का जो खोया हुआ गौरव था, जो बीच के कालखंडों में कमजोर हुआ था, उस गौरव को पुनर्स्थापित करने का काम बिहार की सरकार ने लगातार किया । अभी मेरा बिहार किन चीजों के लिये जाना जाता था, अब वह इतिहास की वस्तु हो गई । मेरे एक दोस्त यूरोप में रहते हैं, वह अभी पटना आये थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पटना का एक चक्कर लगा लूं, 20-25 साल पहले आया था

....क्रमशः ....

टर्न-11/सुरज-संगीता/17.03.2021

....क्रमशः ....

श्री विनोद नारायण झा : और वे जब आर ब्लॉक से दीघा तक गये 7-8 बजे शाम का समय था, लौटकर मेरे घर आये तो उन्होंने कहा कि स्वीट्जरलैंड में जैसी मैंने सड़कें देखी हैं उससे अच्छी सड़कें बिहार सरकार ने यहां बनाने का काम किया है । बिहार के गौरव को चार चांद लगाने का काम..

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार): कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री विनोद नारायण झा : बिहार सरकार ने किया है । बिजली की कहानी की कितनी बातें करते हैं । बिजली की बातें कहूं, ये सबको मालूम है । ये बिजली के बारे में तो सबको मालूम है क्या हालत थी ? जो यात्रा 790 मेगावाट से शुरू हुई, आज 6 हजार मेगावाट प्रतिदिन की खपत बिहार में है । बिहार के गांवों में, अंधेरों में, शाम के वक्त में हम जब घूमते थे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता था । आज जब रात में हम दूर-दराज में घूमते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम बिहार में हैं । लोग भले ही सो गये हों, लाईटें जलती रहती हैं और

सचमुच बिहार में नए दृश्य का आनंद हो रहा है इसलिए हमने बड़ी लंबी यात्राएं तय की हैं और इन लंबी यात्राओं में सभी में एक-एक विषय में एक और कहानी सुनाता हूं । अंग्रेज जब आये अंतिम समय में पहला मेडिकल कॉलेज खोला सर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना और आजादी से पहले यह पहला मेडिकल कॉलेज था बाद में महाराज दरभंगा ने चार सौ एकड़ जमीन दी लेकिन वे बाद के दिनों में...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय अब मात्र दो मिनट है ।

श्री विनोद नारायण झा : महोदय, हमको तो ज्यादा समय कहा गया है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आज हाउस 4 बजे तक ही है ।

श्री विनोद नारायण झा : अच्छा ठीक है महोदय । पूरे बिहार में 50-60 सालों में कितने मेडिकल कॉलेज खुले जो मेडिकल कॉलेज और डॉक्टरों की मांग करते हैं, एक मेडिकल कॉलेज सिर्फ भागलपुर में सरकार ने खोला । मुजफ्फरपुर और गया वाला तो प्राईवेट को अधिग्रहण किया था । आज एक दर्जन मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने सरकारी स्तर पर खोलने का काम किया । कितनी चर्चा करें, महोदय आपने तो समय ही घटा दिया । इसी तरह से गांव-गांव में आपने किया । सिर्फ विकास ही मानक नहीं है गांव के क्षेत्रों में भी काम किया । अभी यूनेस्को की एक रिपोर्ट पिछले दिनों आयी थी । यूनेस्को ने कहा सभी भाषाओं पर खतरा है । खासकर छोटी-छोटी भाषाओं पर जो इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के युग में छोटी भाषाओं पर गंभीर खतरा है । मैं आज बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं, शिक्षा मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपको ध्यान आया कि बिहार की अष्ट्म सूची की भाषा मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है । उसमें आप प्राथमिक शिक्षा शुरू करेंगे, ये अपने-आप में ऐतिहासिक फैसला है । यूनेस्को ने जो संभावना व्यक्त की भाषाओं के खत्म होने की, आपने उसके पुनर्जीवन का काम किया..

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया आप आसन ग्रहण करें ।

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष जी, और कुछ समय हमारे पास है...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब सरकार का उत्तर भी होगा ।

श्री विनोद नारायण झा : सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नफरत की बुनियाद पर कभी विकास की बुलंद इमारत नहीं खड़ी हो सकती । पिछले सालों में इन लोगों ने नफरत की बुनियादें खड़ी कीं और जब नफरत की बुनियाद आप खड़ी करेंगे तो आपसी लड़ाई लड़वायेंगे, चुनाव में वोट भले ही आपको मिल जाये लेकिन जब जातीय दंगे होंगे तो लोग आपस में मरेंगे । आप सत्ता में बता सकते हैं लेकिन विकास नहीं कर सकते हैं,

वही तो कहानी थी और सबसे पहले सामाजिक न्याय के नाम पर नीतीश कुमार जी ने उसको पाटने का काम किया । इस एन0डी0ए0 की सरकार ने उसे पाटने का काम किया और उसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुए, खून की नदियां नहीं बहीं, लाठिया नहीं चलीं । कलम से दस्तखत कर दिया नीतीश कुमार जी ने और पंचायती राज संस्थाओं में गरीबों को आरक्षण मिल गया जिसे बिहार के समाज ने मुखिया बनने नहीं दिया था, जिला परिषद बनने नहीं दिया था, जिला परिषद अध्यक्ष बनने नहीं दिया था । पूरा...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा जी कृपया आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी ।

श्री विनोद नारायण झा : सभापति महोदय, उनका सामाजिक न्याय सिर्फ नारा है । हमारा सामाजिक न्याय कमिटमेंट है और इस पर हमने काम किया है और मुझसे ज्यादा तकलीफ तो उन्हें ही है तभी तो 15 साल के शासन वालों का नाम 15...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया आसन ग्रहण करें विनोद नारायण झा जी ।

श्री विनोद नारायण झा : पोस्टरों से आपने हटा दिया था और इसलिए हमलोगों ने न कभी भूरा बाल साफ...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री विनोद नारायण झा : करने का काम किया और न ही कूकुरमारों का काम किया सिर्फ विकास का काम किया है...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी ।

श्री विनोद नारायण झा : और उसी धारा को नीतीश कुमार जी, तारकिशोर प्रसाद जी और बहन...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब समाप्त करें ।

श्री विनोद नारायण झा : रेणु देवी जी आगे बढ़ा रही हैं इनको बधाई । विनियोग के समर्थन में सर्वसम्मत से इसको पारित किया जाय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी शुरू करें आप ।

श्री अजीत शर्मा : सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, सदन की 11 दिनों की बैठकों में राज्य सरकार की...

(व्यवधान)

11 प्रमुख माँगों पर चर्चा हुई और सभी मांगें पारित हुईं । कल शेष बची माँगों पर गिलोटिन हुआ और वे भी पारित हो गईं । आज हम लोग विनियोग विधेयक पर चर्चा कर

रहे हैं । जब सभी माँगें पारित हो गई, तो विनियोग विधेयक पर विशेष चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी....

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप बोलिए, आसन की ओर देखकर बोलिए माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, फिर भी 2-4 वाक्य कहने की आवश्यकता मैं समझता हूं । वित्त मंत्री को ये सारी राशि खर्च करने के लिए शक्ति दी गई है । वित्त मंत्री भी सुनेंगे और विनियोग विधेयक द्वारा इस खजाने की चाबी दी जा रही है जिसकी स्वीकृति के प्रस्ताव पर मैं बोल रहा हूं । इस विधेयक पर स्वीकृति दे दिए जाने के बाद सभी विभाग अपने-अपने हिसाब से वित्त विभाग के निर्देश के अनुरूप खर्च करेंगे । मैंने सप्लीमेंट्री बजट के दिन भी इसे उठाया था कि बजट मैनुअल का पालन राज्य में नहीं हो रहा है, जो बहुत ही आवश्यक है । हम सिस्टम बनाते हैं और यदि उस सिस्टम का पालन स्वयं नहीं करेंगे तो फिर वह सिस्टम कारगर नहीं रह जाता है । बजट मैनुअल मार्गदर्शन देता है कि आप किस तरह से खर्च करें या बजट बनायें । इस बजट पारण में एक हिस्सा होने के नाते मैं वित्त मंत्री को यही आगाह करना चाहूंगा कि वे पिछली बातों को यदि छोड़ भी दें तो वर्ष 2021-22 के बजट का खर्च, अनुपूरक और प्रत्यर्पण बजट मैनुअल के आधार पर करें । एक बात बतायें बहुत ही सत्ता पक्ष विकास की बात कर रहे थे । आज हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी बैठे हैं, आर0ओ0बी0 (रोड ओवर ब्रिज) भागलपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि यह बनेगा और इन्होंने भी डी0पी0आर0 बनाया, एन0ओ0सी0 रेलवे से मिला और उसकी 68 करोड़ के आसपास की स्वीकृति हुई । उसके बाद फिर आज एक सौ करोड़ से ऊपर चला गया लेकिन अभी तक वह टेंडर नहीं हुआ, यह विकास है, यह खर्च कर पैसे की बर्बादी है इसपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए मेरा इतना ही कहना है । आपने समय दिया इसके लिए सभापति जी धन्यवाद और जो बचा हुआ समय है उसमें राजेश कुमार जी बोलेंगे ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, श्री अजीत कुमार सिंह जी ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक पर चर्चा में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, आपका समय पांच मिनट है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, कितना ?

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : पांच मिनट ।

श्री अजीत कुमार सिंह : जी धन्यवाद । बहुत शायराना माहौल देखा मैंने लंबे समय से, 11 दिनों से तो इच्छा हुई कि एक शायरी मैं भी बोलूं तो शायरी से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं ।

''बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं
सवाल रोज पूछता हूं और रोज ही गलत जवाब पाता हूं
यहां माननीय मंत्रीगण बिना होमवर्क के आते हैं
और ज्यादा पूरक पूछ दिया तो तर-बतर हो जाते हैं ।
उनके गुस्से, उनकी धमकियों के साथ हर शाम जाता हूं
सवाल रोज पूछता हूं और रोज ही गलत जवाब पाता हूं ।''

माननीय सभापति महोदय, हाँ, निश्चित तौर पर मैं नया आया हूं और 11 दिनों से मैं कार्यवाहियों को लगातार देख रहा हूं और तमाम तरह के विषयों पर चर्चाओं में शामिल होता रहा हूं और शाम तक मैं तमाम बहसों को भी सुनता रहा हूं और निश्चित तौर पर जो बातें हुई, विकास की बड़ी-बड़ी बातें आज भी हो रही हैं ।

...क्रमशः ...

टर्न-12/मुकुल-राहुल/17.03.2021

...क्रमशः ...

श्री अजीत कुमार सिंह: महोदय, मुझे लगता है कि शायद इस सदन के बाहर जब हम निकलेंगे तो गर्दनीबाग अगर जाइयेगा जहां पर आपने धरना-स्थल अलॉट किया है तो वहां कई सारे लोग रोज अपने सवालों के साथ प्रदर्शन करते हैं, इस उम्मीद और अपील के साथ कि विधान सभा उनकी बातों को भी सुनेगा । आज हमारी आशा बहनों का आंदोलन है, हम लोग खूब महिलाओं की उन्नति की बात करते हैं, कई सारी हमारी महिला सदस्या महोदय भी हैं और कहा गया कि महिलाओं की उन्नति के लिए सरकार ने क्या नहीं किया, कितना आरक्षण नहीं दिया, लेकिन महोदय, क्या पेनलेस वर्कर बिहार के अंदर महिलाओं को हमने रखा है । क्या यह बात सही है कि कोई वेतन नहीं दिया जाता इस महंगाई के दौर में और जहां फ्री में महिलाओं से काम करवाया जाता है वहां महिलाओं की उन्नति की बात करना और व्याख्या करना, मैं समझता हूं कि यह हाउस की गरिमा के भी खिलाफ है । महोदय, खजाने की चाबी की बात है, यकीनन मैं कहना चाहता हूं कि क्यों दिया जाय । पिछले 15 वर्षों से जब से हमारी पढ़ाई शुरू हुई और हमने राजनीति में, छात्र जीवन में जब से हम लोग आयें तब से नीतीश कुमार जी को ही देख रहे हैं । हमने जब राजनीतिक होश संभाला तब से हम नीतीश कुमार जी के ही राज को देख रहे हैं तो

हम कैसे मान लें कि आप जो बिहार की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, वह गंगा तो बिहार में कहीं दिख नहीं रही है । आप कह रहे हैं कि होम कृषि का विकास हुआ, कहां विकास हुआ ? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं डुमरांव विधान सभा से वहां मलियाबाद में मलई बराज नामक एक परियोजना की शुरुआत हुई थी अगर वह परियोजना पूरी हो गई होती तो आज लाखों किसानों को सिंचाई की सुविधा हो गई होती । वर्ष 1980 से वह योजना चल रही है और आज तक वह पूरी नहीं हुई, किसलिए आपको पैसा चाहिए । मैं जहां से आता हूं उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब की सरजमीं है । उनकी शहनाई की धुन को पूरी दुनिया ने माना, भारतरत्न की उपाधि दी गई । मैंने पिछले साल अखबार में पढ़ा कि सरकार ने वायदा किया था कि डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब के नाम पर एक कला विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी, मैं इस बजट के पन्नों को पलटते रहा लेकिन मुझे कहीं उस कला विश्वविद्यालय का नामोनिशान तक नहीं दिखा । मैंने सवाल पूछा था और वह आज तक पटल पर नहीं आया, पता नहीं वह कहां चला गया । महोदय, डुमरांव में बात हुई थी, मैं अखबार की कटिंग दे दूंगा, विनय बिहारी जी ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार)ः माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी बात को संक्षेप करें ।

श्री अजीत कुमार सिंहः महोदय, अभी माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा नहीं हैं, इस बात का मुझे भी दुख है । महोदय, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं, इसके अलावा उद्योगों की बात हुई और आज भी अखबार में देखा कि गन्ना से इथेनॉल बनाने की बात हो रही थी । महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि बिहार जो इतना खाद्यान्न संकट को झेल रहा है जहां कोरोना काल में लौटे हुए मजदूर, जिनको काम नहीं मिला वह भूख से तड़प रहे थे, उनको उनके खाद्य सामग्रियों को उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता है, अगर फसलों से हम इथेनॉल बनाने लगे और वहां का खाद्यान्न उन गरीबों को नहीं दिया जाय तो महोदय, मैं समझता हूं कि यह उन गरीबों के साथ किसी भी हालत में न्याय नहीं होगा । महोदय, इथेनॉल के बारे में मैं पढ़ रहा था, ब्राजील जैसा देश है वहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कारण क्या है कि वहां बहुत बड़ा भूखण्ड है जहां लोग नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, महोदय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार)ः कृपया आसन ग्रहण करें आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अजीत कुमार सिंहः महोदय, वहां संख्या बहुत कम है । इसके बावजूद महोदय, हम कह रहे हैं कि कृषि के मामले में...

सभापति (श्री प्रेम कुमार)ः माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान जी । समय बहुत कम है ।

श्री अजीत कुमार सिंह: महोदय, अंत में एक और शायरी पढ़ने की इजाजत दे दी जाय । महोदय, दो लाइन की है । महोदय, आपसे हम संरक्षण चाहते हैं । दो लाइन की शायरी है, खत्म कर देंगे, अब आज के बाद तो अगले सत्र में आयेंगे तो पढ़ लेने दीजिए । इस शासन के लिए ही है ।

"इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा,
जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा ।
जब अंबर झूम कर नाचेगा, जब धरती नगमें गायेंगी,
वह सुबह कभी तो आयेगी, वह सुबह कभी तो आयेगी ।"

बहुत-बहुत शुक्रिया ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, अखतरूल ईमान जी । आपके पास एक मिनट का समय है ।

श्री अखतरूल ईमान: महोदय, एक मिनट में मैं आपको देखूं या बात करूं । महोदय, दो बात, जरा माहौल जरा मुस्कुराहट का हो जाय तो मैं भी दो बात कहने का इरादा रखता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): जरूर ।

श्री अखतरूल ईमान: महोदय, वह यह है कि कभी जब आपको देखता हूं, कभी दाएं देखता हूं, कभी बाएं देखता हूं तो एक ख्याल आता है कि :-

"न गुल अपना, न खार अपना, न दुश्मन बागबां अपना
हाय किस चमन में बनाया मैंने आशियां अपना ।

लेकिन मैं गमगीन नहीं हूं । अपना तो काम है कि:-

"जलाते चलो चिराग रास्ते में चाहे दोस्त का, चाहे दुश्मन का घर मिले ।"

मैं कुछ बातें मशवरे के तौर पर कहना चाहता हूं, न गद्दी के नशे में, न गद्दी के उसूल के लिए बल्कि मैं बिहार की आवाम के इंसाफ के लिए कहना चाहता हूं । सरकार आम होती तो मैं कोई बात न कहता, लेकिन सरकार ने इंसाफ का दावा किया है तो अक्लियतों को इंसाफ चाहिए । इस बजट में सिर्फ 562 करोड़, लाखों-करोड़ों का बजट और अक्लियतों की हालात इतनी बर्बाद, उनके लिए बजट में जरा सा इंसाफ कीजिए । मैं सीमांचल के इलाके से आता हूं, हर दिन रोता हूं कि सैलाब में मां डूब कर मरती है बेटा उस पार रोता है । दिल्ली से वह किशनगंज पहुंच जाता है, लेकिन वह सिरसी नहीं पहुंच पाता, अपने गांव नहीं पहुंच पाता है, जहां उसकी दूरी एक घंटे की है । 50 किलोमीटर तक नदी में, महानंदा में, कनकी में पुल नहीं बन पाया, उनको इंसाफ दे दीजिए । माननीय मुख्यमंत्री का बहुत हृदय से निकला हुआ एक जुमला है जो मुझे बड़ा अच्छा

लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो आपदा पीड़ितों को है, चलिए मेरे सीमांचल में वर्ष 2017...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त कीजिए, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री अखतरूल ईमान: सर, आपदा की बात है, उस तथ्य की बात तो सुन लीजिए कि वर्ष 2017 से बाढ़ से नहीं कटावों से हजारों के घर उजड़ गए हैं । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के इस पवित्र शब्द को स्थापित करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और नौकरशाह अगर उन गरीबों की उजड़ी हुई झोपड़ी को इंसाफ नहीं दे सकते हैं तो इंसाफ का दावा करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): कृपया अब समाप्त करें । माननीय सदस्य डॉ0 सत्येन्द्र यादव जी ।

श्री अखतरूल ईमान: यह मशवरे की बात थी, बात अच्छी लगे तो मान लीजिएगा, गलत लगे तो फेंक दीजिएगा ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, डॉ0 सत्येन्द्र यादव जी, आपका समय एक मिनट है ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव: माननीय सभापति जी, मैं आपके संरक्षण का हकदार हूं, एक मिनट में कोई बात नहीं होती है इसलिए तमाम राजनीतिक दलों से मेरी अपील भी है कि कहने के अधिकार को सीमित न किया जाय । माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है । सरकार बार-बार कहती है कि न्याय के साथ विकास, इसकी मिनिंग क्या है ? सरकार के तमाम विभागों के विश्लेषण का निष्कर्ष है कि इस स्लोगन के विपरीत सरकार रोज आचरण करती है । न्याय किस से किसको मिले ? न्याय सरकार से समाज के वंचित हाशिये पर खड़े लोगों को न्याय चाहिए और उनके साथ आज गांवों में सरकार के विभिन्न विभागों की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बंदरबांट और लूट को बंद किया जाय, तो वास्तव में उनके साथ न्याय हो सकता है, लेकिन यह सरकार न्याय नहीं कर सकती है और इसीलिए सबसे ज्यादा अन्याय का कोई शिकार है गांवों में तो गांवों की झोपड़ियों में रहने वाले दलित, गांव की झोपड़ियों में रहने वाले पिछड़े, अल्पसंख्यक और आंगनबाड़ी रसोइया जैसे हाशिये पर खड़े लोग हैं, जिनके साथ रोज अन्याय हो रहा है । विकास-विकास किसका, विकास का मानक क्या है ? समाज के हाशिये पर खड़े लोगों का विकास और आज क्या विकास हो रहा है ? विभिन्न मंत्री लोग बैठे हैं, मंत्रिपरिषद् के लोग बैठे हैं और मंत्रिपरिषद् के साथ जो उनके विभाग हैं उनके एग्जीक्यूटिव से लेकर उनके कर्मचारी तक लूट की अपार संपत्ति इकट्ठा कर लिया और आज नतीजा क्या है, विकास के नाम पर जिस आधारभूत संरचना की आप चर्चा करते हैं उस आधारभूत संरचना पर आधारित है...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): कृपया आसन ग्रहण करें, आपका समय समाप्त हुआ ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव: इसलिए विकास के नाम पर इस सरकार के राज में पूरे तौर पर लूट के सिवाय कुछ नहीं है । महोदय, यह न्याय के साथ विकास नहीं...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य डॉ0 सत्येंद्र यादव आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री जीतन राम माँझी जी ।

श्री जीतन राम माँझी: सभापति महोदय, आज बिहार विनियोग संख्या-2 विधेयक 2021 जो पेश किया गया है सरकार की ओर से, मैं उसका समर्थन करता हूं और...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, डॉ0 सत्येन्द्र जी प्लीज बैठ जाइए ।

श्री जीतन राम माँझी: सभापति महोदय, बिहार विनियोग संख्या-2 विधेयक 2021 जो सरकार के द्वारा पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन करने के पीछे बहुत सारी बातें हैं, सभी सदस्यों ने की हैं, लेकिन कुछ मूलभूत बातें जो हम समझते हैं कि सत्तापक्ष के लोग भी पसंद करेंगे और विरोधी पक्ष के लोग भी पसंद करेंगे, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं ।

...क्रमशः ...

टर्न-13/यानपति-अंजली/17.03.2021

...क्रमशः ...

श्री जीतन राम माँझी: सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया था । 60 के दशक में मुंगेरी लाल कमीशन का गठन हुआ था । उक्त आयोग का प्रतिवेदन था कि एस0सी0, एस0टी0 को मात्र आठ प्रतिशत से कम आरक्षण दिया गया है । आज करीब 50-60 साल से अधिक हो गये हैं फिर भी जनसंख्या के आलोक में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है । इसीलिये मैं बिहार सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि एस0सी0, एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है इसकी जांच के लिए एक कमीशन बैठाये, एक आयोग बनाये ये हम मांग करना चाहते हैं आज के इस अवसर पर, फिर उसके बाद महोदय, भूदान की जमीन, सीलिंग की जमीन और बिहार सरकार की जमीन को एस0सी0, एस0टी0 के लिए दिया गया है पर्चा, प्रमाणन के रूप में, लेकिन दुर्भाग्यवश 80 प्रतिशत वैसे लोग हैं जिनका उनकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है इसीलिये मैं मांग करता हूं जिसका प्रावधान

2015 में मुख्यमंत्री की हैसियत से हमने करने का काम किया था वही मैं मांग करता हूं कि सरकार...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप प्लीज बैठ जाइये, मंडल जी बैठ जाइये ।

आप बोलिये, माननीय सदस्य जीतन राम मांझी जी ।

माननीय सदस्य, बिना अनुमति के मत बोलिये । प्लीज बैठ जाइये, बैठिये, आप बैठिये न फिर कह रहे हैं आपसे आग्रह है बैठ जाइये ।

श्री जीतन राम मांझी: सभापति महोदय, हमारी मांग है कि सरकार एक अभियान दखल देहानी चलाकर पर्चाधारियों को प्रमाणधारियों को कब्जा दिलाये और जिसको पर्चा प्राप्त नहीं हुआ है उसको दस डिसमिल जमीन रहने के लिए और एक एकड़ जमीन खरीदकर के उनको खेती करने के लिए दिया जाय ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं । महोदय...

(व्यवधान)

आप कहने तो दीजिए ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): शांति, माननीय सत्यदेव बाबू । प्लीज बोलने दीजिये उनको ।

श्री जीतन राम मांझी: सभापति महोदय, वैसे मैं बोलता नहीं हूं आज पहली बार बोल रहे हैं हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि हमारी बात को गंभीरता से सुनें । महोदय, आये दिन देखा गया है कि सरकारी सेवाओं की संख्या कम की जा रही है और निजी क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है लेकिन निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होने के कारण संविधान प्रदत्त अधिकार से एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 वंचित हो रहे हैं इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण बिहार सरकार भी कॉम्पिटेंट है अपने राज्य में दे सकती है और नहीं तो फिर इसके लिए भारत सरकार से अनुशंसा कर सकती है कि आप इस प्रकार से आरक्षण दीजिए । महोदय, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ और बाढ़ की स्थिति बनी रहती है । इन दोनों समस्याओं के निदान के लिए हम अपने समय में जब मुख्यमंत्री काल में थे तो इंद्रपुरी बराज से घोड़ाघाट नीलांजन नदी में पानी लाने का और बिथो नदी में बराज बनाने के निर्माण का हमने प्रोविजन किया था और उससे बोधगया में फल्गू नदी से गया और बोधगया के दोनों किनारे सड़क बनती और वह जो पानी जमा होता है, बराज में नहर निकालकर के हमने मोकामा टाल में भी ले जाने का प्रयास किया था । अगर इस चीज को आज भी चालू किया जाय यानी इंद्रपुरी से नहर निकाल कर के घोड़ाघाट यानी फल्गू नदी, नीलांजन नदी में लाया जाय, बिथो में बराज बना दिया जाय और बिथो से नहर निकालकर के मोकामा में दिया जाय तो मोकामा के

85 गांव लाभान्वित हो सकते हैं और दक्षिणी बिहार के कम से कम सात जिला निश्चित रूप से सुखाड़ की स्थिति से ठीक हो सकते हैं ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं । महोदय, 74 साल व्यतीत होने के बाद भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो कथन था वह मूर्त रूप में नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो, आज 74 वर्ष बीत गये सामान्य शिक्षा लागू नहीं हुआ है और उसी में कहा गया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान 'सब को शिक्षा एक समान' लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हुई और इस कड़ी में आप भी जानते हैं महोदय कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज से तीन साल पहले कहा था कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई ठीक नहीं होती है और खासकर गरीब के बच्चे किसी भी जात, किसी भी धर्म के हैं वहां पढ़ते हैं अगर उसकी पढ़ाई को ठीक करना है तो सरकार व्यवस्था करे कि चाहे न्यायाधीश हों, मुख्यमंत्री हों, एम0एल0ए0 हों, ब्यूरोक्रेट हों, सब के बच्चे अनिवार्य रूप में सरकारी विद्यालय में पढ़ें तो विद्यालय की स्थिति ठीक हो सकती है ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं और उसी क्रम में आगे महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में दलित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन और दशरथ मांझी श्रम शोध संस्थान की स्थापना करने का हमने आदेश दिया था मुख्यमंत्री की हैसियत से, अगर ये दोनों कार्य करता तो आज हजारों लोगों को नियोजन का अवसर मिलता जो आज तक नहीं हो रहा है हम सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि दोनों संस्थाओं को जीवित करें ताकि...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री जीतन राम मांझी: बिहार में दलित, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए डॉ0 भीमराव फाउंडेशन और दशरथ मांझी श्रम शोध संस्थान की स्थापना करने का हमने आदेश दिया था मुख्यमंत्री की हैसियत से । अगर ये दोनों कार्य करता तो आज हजारों लोगों को नियोजन का अवसर मिलता जो आजतक नहीं हो रहा है हम सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इन दोनों संस्थानों को जीवित करे ताकि...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आपसे आग्रह है कि आसन ग्रहण करें ।

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, बस दो मिनट, मैंने कहा तो मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूं और ये दोनों संस्थाएं अगर कार्यशील हो जायं तो हजारों लोगों को, जो बेरोजगार हैं उनका नियोजन मिल सकता है जिसके लिए बिहार सरकार ने बहुत अच्छी घोषणा की है कि हम 20 लाख को रोजगार देंगे उसमें एक मदद मिलेगी । इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं, दूसरी बात है कि आज जैसा कहा कि 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे कैसे

दीजियेगा । उसके लिये हमने अपने समय काल में 75 लाख रुपया तक ठेकेदारी में शिड्यूल कास्ट/शिड्यूल ट्राइब महिला और अतिपिछड़ा के लोगों को आरक्षण देने की बात की थी, आज वह शिथिल है उसपर कार्रवाई नहीं हो रही है । हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि आप 75 लाख नहीं पांच करोड़ तक ठेकेदारी में लोगों को आरक्षण दे दीजिये लाखों लोग नियोजित होंगे यह हम कहना चाहते हैं । महोदय, उसी प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ है । हमने अपने समय काल में कहा था कि प्रथम क्लास की बच्ची से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट की बच्चियों को चाहे जिस जाति, जिस धर्म की हों उनको फ्री एजुकेशन दीजिये । मैं मांग करना चाहता हूं कि आज सामान्य एजुकेशन के साथ-साथ वोकेशनल एजुकेशन में भी इन बच्चियों को आप दीजिये तभी महिला सशक्तिकरण का मायने हो सकता है...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आपसे आग्रह है कृपया समाप्त करें ।

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, एक मिनट और । महोदय, यह मैं कहना चाहता हूं कि शिड्यूल कास्ट/शिड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज ऐक्ट है 1989 का । माननीय उच्चतम न्यायालय में इसके लिये एक आदेश पारित किया था जिसके चलते आप जानते हैं कि समूचे हिंदुस्तान के दलित रास्ते पर, रोड पर आ गये थे आज इसी...

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आप बैठ जाईये, माननीय सदस्य रामानुज बाबू प्लीज बैठ जाईये । आप बोलिये माननीय मांझी जी ।

श्री जीतन राम मांझी: आप बैठिये न ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आप कंक्लूड करिये ।

श्री जीतन राम मांझी: हमको मालूम है कि जिनसे मैं करा रहा हूं वहीं करेंगे दूसरा प्रोग्राम...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): रामानुज जी, प्लीज बैठ जाइये । माननीय सदस्य, रामानुज बाबू बैठिये आप ।

(व्यवधान)

श्री जीतन राम मांझी: इसीलिए मैं कह रहा हूं । महोदय, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): रामानुज बाबू, बैठ जाइये ।

श्री जीतन राम मांझी: रामानुज बाबू, आप बैठिये, आपको दुख क्यों लग रहा है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): रामानुज जी, बैठिये ।

श्री जीतन राम मांझी: रामानुज बाबू, क्यों डिस्टर्व कर रहे हैं । डिस्टर्व नहीं करना चाहिये ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): रामानुज जी, आपसे आग्रह है बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आप कंक्लूड कीजिये ।

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, एक मिनट ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): समाप्त कीजिये ।

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, शिड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज ऐक्ट 1989 है । आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ आदेश पारित किया था जिसके तहत समूचे हिंदुस्तान के जो दलित आ गये थे रोड पर, मैं कहना चाहता हूं कि उस ऐक्ट को 1989 शिड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज ऐक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालने के लिये बिहार विधान सभा से एक प्रस्ताव भेजा जाय ताकि वह 9वीं सूची में डाला जाय तो वह अत्याचार नियम को कारगर से, उसी तरह से महोदय हम कहना चाहते हैं कि विगत कुछ वर्षों में शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है जैसा कि आया है । आज आवश्यकता है पोस्ट मैट्रिक...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप कृपया बैठ जायं । रामानुज जी बैठिये आप ।

श्री जीतन राम मांझी: जो स्टाइपेंड है उसे पुन: चालू किया जाय मैं यही आपसे कहना चाहता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): रामानुज बाबू, बैठ जाईये ।

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, पता नहीं रामानुज बाबू को क्या दिक्कत हो रही है अब यही कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद । सभापति महोदय, और बिहार सरकार के द्वारा जो विनियोग विधेयक लाया गया है उसका मैं पुरजोर समर्थन भी करता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल जी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी, बैठिये । ललित नारायण मंडल जी आप बोलें ।

श्री ललित नारायण मंडल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं सुल्तानगंज विधान सभा की जनता का, माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, बाबू श्रवण कुमार जी का और अध्यक्ष जी आपका कि आज मैं विधान सभा में सरकार के समर्थन में विनियोग विधेयक को पारित करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

...क्रमश:...

टर्न-14/सत्येन्द्र/17-03-21

श्री ललित नारायण मंडल (क्रमशः): सभापति महोदय, जैसा हमलोग सब जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा संचित निधि से हम रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए सदन में प्रस्तुत विधेयक जिसको विनियोग विधेयक कहते हैं और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन आता है । इस अनुच्छेद में यह अति आवश्यक प्रक्रिया है और इसमें सरकार को सचमुच में कोष का चाबी मिलता है और हम इसके समर्थन में हैं हमारी पार्टी इसके समर्थन में है और इसके समर्थन में मैं कुछ बोलना चाहता हूं । सभापति महोदय, बिहार राज्य का बजट आकार 2020-21 में 2 लाख 11 हजार 761 करोड़ था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 2 लाख 18 हजार 302 करोड़ रू0 हो गया है । इस कल्याणकारी सरकार के लगभग 51 विभागों का यह बजट है जिससे राज्य की जनता के हित में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना है चूंकि बिना राजस्व के कोई भी काम संभव नहीं है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): अब समाप्त करें मंडल जी ।

श्री ललित नारायण मंडल: अच्छा ठीक है सर, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22510.78 करोड़ का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो कि सकल राज घरेलु उत्पाद 2021-22 का लगभग 7 लाख 57 हजार 26 करोड़ रू0 है जो उसका 2.97 प्रतिशत है और यह निर्धारित 3 प्रतिशत सीमा के अन्दर है । महाशय, बिहार सरकार क्या किया है, यह हमलोग सब जानते हैं, आप रोड को देखिये, स्कूल को देखिये, पुल को देखिये ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): अब कृपया बैठ जायें ।

अब माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी, एक मिनट आपका है ।

श्री राजेश कुमार: सभापति महोदय, आज का ये जो विधि विभाग का विनियोग विधेयक संख्या-2 है उसका मैं विरोध में हूॅ और इसलिए मैं विरोध में हूॅ कि विधि विभाग का ये ताला चाबी मांग रही है और विधि विभाग में अबतक जो जिले में लोक अभियोजक का पद है, लगातार 2015 से जिला पदाधिकारी द्वारा मांगी जाती है सूची और अब तक ये लोक अभियोजक का किसी जिला में नियुक्ति नहीं हुई है और ये सरकार कहती है कि हम बहुत ही संजीदगी से कार्य को कर रहे हैं लेकिन सदन के माध्यम से सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूॅ कि आप किस आधार पर ताला चाबी मांग रहे हैं खर्चा के लिए, महोदय, यहां पर जो है अनुसूचित जाति के लोग जो जेल में बंद हैं और उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है और सरकार उसका लगातार उत्पीड़न कर रही है । सभापति

महोदय, जिस तरह से यहां पर वार्ड सदस्य जो हैं, 1 लाख 40 हजार वार्ड सदस्य उनसे मुफ्त में सरकार एक तरह से काम करा रही है । सरकार सात निश्चय योजना में सारे वार्ड सदस्यों से काम लेती है लेकिन आजतक उनको सुध लेने वाला कोई नहीं है जबकि उनके पास काम का प्रेसर बना रहता है। जहां तक लंबित मामले की बात है तो पूरे बिहार में अबतक जितने भी न्यायपालिका के अन्दर स्पेशल कोर्ट गठित है उसमें न्याय नहीं मिल रहा है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप बैठ जायें । श्री मिश्री लाल यादव जी, आपको एक मिनट बोलना है। समय नहीं है सरकार का उत्तर भी होगा ।

श्री मिश्री लाल यादव: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा और बिहार के उप मुख्यमंत्री मान्यवर वित्त मंत्री जी के द्वारा जो विनियोग विधेयक सदन में पेश किया गया है, मैं वी0आई0पी0 पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूँ । महोदय, मैं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़ा था और दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ाना चाहती थी लेकिन वह सीट वी0आई0पी0 के कोटे में गया और मैं मान्यवर वी0आई0पी0 के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ा । महोदय, यह सरकार एन0डी0ए0 की है और इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी, जनता दल(यू0), वी0आई0पी0 और हम पार्टी का पूरा समर्थन है और उसी समर्थन पर यह पार्टी चल रही है और सरकार चल रही है । ये सरकार चौमुखी विकास की ओर है और यह सरकार विकसित बिहार आत्मनिर्भर बिहार और हिन्दुस्तान के मानचित्र पर बिहार को ले जाने के लिए कृत-संकल्पित है । महोदय, इस पवित्र काम को करने के लिए सरकार को धन चाहिए, राशि चाहिए महोदय और इतना बड़ा जो बजट बिहार और सदन के अन्दर पेश किया गया है, यह बिहार के चौमुखी विकास के लिए है। महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, कोरोना जैसा रोग जो बिहार में फैला था, उस समय में लग रहा था कि पूरा का पूरा बिहार कोरोना के चपेट में आ जायेगा लेकिन बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से खड़ा होकर और बिहार की जो 12 करोड़ की आबादी थी उसको बचाने में कामयाब हुई, इसके लिए भी हमलोग सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं । महोदय, इतना ही नहीं आपको मालूम होगा आज के दिनों में बिहार में कोरोना का वैक्सीन पूरी तरह से कैम्प लगाकर और जो लोग हैं उनको दिला रही है । महोदय, आज मैं सरकार से कहना चाहता हूँ विकास की गति को और तेज करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आप बैठ जायें । आपका समय समाप्त हो गया ।

माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह । आपका समय दो मिनट है ।

श्री जनक सिंह: सभापति महोदय, अभी आपने जो मुझे बिहार विनियोग संख्या-2 विधेयक, 2021 पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिए मौका दिया है इसके लिए मैं ढेरों साधुवाद देता हूॅ । सभापति महोदय, आपने दो मिनट का समय दिया है । सभापति महोदय, मुझे एक श्लोक स्मरण में आया है, मॉ पार्वती की प्रतीक्षा में भोले बाबा बैठे हुए थे और विलम्ब हुआ तो उन्होंने पूछा कि विलम्ब का कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा में लगे हुए थे तब उन्होंने कहा कि-

''रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ।''

हे पार्वती, तुम तो सिर्फ राम का नाम लोगे, उसी से सारे कार्य पूजा पाठ पूरा हो जायेगा इसीलिए आपने बहुत कम समय जो हमें दिया है, मैं एक बात कहूंगा सभापति महोदय, वर्ष 1990-91 में संयुक्त बिहार राज्य का बजट 5987.6 करोड़ रू0 था और आज हमारा जो बजट है जिसके लिए आज सदन अपने माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के सुबे के वित्त मंत्री को चाबी देगा, यह किसके लिए है, ये बिहार के अवाम के लिए, सबके लिए जो भी यहां है, चाहे हिन्दू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी के लिए, बिहारवासियों के लिए आज हम चाबी देने जा रहे हैं, किस काम के लिए आम आवाम के लिए, आज जरा सोचिये कि 2005-06 में राज्य का कुल बजट 2 लाख 26 हजार 328.51 करोड़ रू0 था और जो 16 गुणा है। आज जरा सोच लीजिय, हमारा 16 वर्ष में कितना है आपको 2 लाख 21 हजार 461 करोड़ रू0 (क्रमशः)

टर्न-15/मधुप/17.03.2021

...क्रमशः...

श्री जनक सिंह : आखिर यह रुपया किसके लिए जायेगा ? खर्चा तो हम करते ही हैं...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप आसन की ओर देखकर बोलिये ।

श्री जनक सिंह : आपके राज में कहीं रोड था क्या ?

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सत्यदेव जी, बैठ जाइये । कोई व्यवस्था नहीं है, बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह : आपके राज में मरीज राज्य की राजधानी में पहुॅच नहीं पाते थे और बीच रास्ते में दम तोड़कर मर जाते थे ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये । माननीय सदस्य, बिना अनुमति के मत खड़ा होइये ।

श्री जनक सिंह : लेकिन बिहार सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को साधुवाद देता हूँ कि चाहे गाँव में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हों, राजधानी में आने के लिए आज 4-5 घंटे लगते हैं और आज हम पटना में आते हैं । चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे शिक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे सहकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्र में हो, चाहे पथ निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आज समय की बचत हुई है ।

इसलिए हमारा जो बजट है उसका आकार देखिये कि हम कितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपने किया क्या ? यह विकास आपको दिखाई नहीं देगा...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सत्यदेव जी, बैठिये । आप बैठिये । आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी ।

श्री जनक सिंह : यह विकास आपको दिखाई नहीं देगा, आपको रात में दिखाई देता है जैसे किसी पक्षी को दिन में दिखाई नहीं देता है, उसको रात में दिखाई देता है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य सत्यदेव बाबू, कृपया बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, खेत-खलिहान, विद्यालय, महाविद्यालय की ओर निकलते हैं तो वह जो सारी सुविधाएँ आप देखते हैं, चाहे अनुसूचित जाति की बात हो, चाहे अनुसूचित जनजाति की बात हो, चाहे पिछड़ी जाति की बात हो, चाहे अगड़ी जाति की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज की बात हो, सबके बीच हमारी सरकार नजरें रख रही है और उनके बीच विकास का कार्य हुआ है लेकिन आपने क्या किया जी ? आप अपने 15 वर्ष के इतिहास को पढ़ते हैं लेकिन उसमें कहीं कुछ नहीं है । आज राज्य की राजधानी में या गाँव में हो, सब जगह हमारा विकास का कार्य चल रहा है । इसलिए सभापति महोदय, आज जो हमारे बजट का आकार बढ़ा है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया बैठ जायं । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जनक सिंह : सभापति महोदय, आपने जो मौका दिया है उसके लिए पुनः साधुवाद देता हूँ ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये । आसन ग्रहण करें ।

श्री जनक सिंह : अंत में सभापति महोदय, एक बात कहूँगा कि लता और चमन...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : जनक जी, बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक कविता याद आई है उसमें लता और चमन की बात है । लता और चमन को मुस्कुराने के लिए हमारी और आपकी, दोनों के सहयोग की आवश्यकता है । जैसे -

"मधुर गंध का अर्थ खूब महके,
पड़े संकटों की भले मार चहके,
अगर हम नहीं पुष्प सा मुस्कुराए,
लता क्या कहेगी, चमन क्या कहेगा ।"

इसलिए बिहार सूबे के विकास के लिए हम सबकी आवश्यकता है । ऐसा नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष की ही आवश्यकता है । इसलिए आपका सहयोग मिलना चाहिए। मैं अंत में कहूँगा कि

"बहुत हो चुका स्वर्ग भू पर उतारें,
करें कुछ नया, स्वस्थ सोचें-विचारें,
अगर हम नहीं ज्योति बन झिलमिलाये,
निशा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा ।"

इसलिए बिहार के विकास के लिए आपकी भी आवश्यकता है लेकिन आप जो कर रहे हैं जिस तरह का अपना वक्तव्य दे रहे हैं, इससे विकास का गॉव में रहने वाले गरीब-गुरबा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा शक्ति हो....

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लें ।

श्री जनक सिंह : जो एक नई शक्ति बनकर बिहार में उभरा है, आप नहीं चाहते हैं कि हमारी तरुणाई आगे बढ़े । मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी को ढेरों साधुवाद देता हूँ कि आपने जन मानस को सामने रखकर बिहारवासियों को सामने रखकर सबके पक्ष में आपने काम किया है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री जनक सिंह : यह 15 वर्ष की हमारी एन0डी0ए0 की सरकार केवल अपने राज्य में ही नहीं पूरे देश में...

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह : हमने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा था कि बिहार एक ऐसी धरती है जिसने दुनिया का नेतृत्व किया है और हमारे सम्राट अशोक जो थे ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह : उन्होंने दुनिया का नेतृत्व किये थे और सम्राट अशोक के विषय पर हम गाँव-गाँव में उनकी याद में, उनके विषय में हम बहुत-सा काम करने जा रहे हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

अब स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय वित्त मंत्री जी ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, इनलोगों को जीने का अंदाज ही नहीं मालूम । मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ, इससे अंदाज लगेगा सरकार के काम करने के तौर-तरीके के बारे में, महोदय ।

''साहिल पे पहुँचने से इंकार किसे है लेकिन,
तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है,
कहते हैं, कि किस्मत खुदा लिखता है लेकिन,
उसे मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है ।''

सरकार हमारी उस अंदाज में काम करती है, महोदय ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, दुखित आत्मा ही इस तरह की शायरी पढ़ते हैं ।

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, सरकार का बजट तो समुंदर होता है तो उस समुंदर से मिलना भी तो चाहिए । इकबाल की शायरी है, सुनना थोड़ा महंगा पड़ेगा ।

''समुंदर से मिले प्यासे को शबनम,
रज्जाकी नहीं बखीली है यह ।''

यह जो माइजरनेस है, आप कंजूसी करते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि बजट का आकार बड़ा होना अलग बात है, एक्सपेंड करना इम्पॉर्टेंट है । एक्सपेंडिचर होगा तो फायदा पहुँचेगा । वह बता दीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैंने दिनांक 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन के पटल पर रखा था । इसके बाद विभिन्न विभागों के अनुदानों की माँगों पर इस प्रतिष्ठित सदन में गहन एवं विस्तृत चर्चा हुई । राज्य सरकार के माननीय विभागीय मंत्रियों द्वारा बजट के माध्यम से विभागों की कार्य योजना सदन में प्रस्तुत किया गया । मुझे इस बात से अपार प्रसन्नता हो रही है कि इस महान सदन के कई माननीय सदस्यों द्वारा बजट के बारे में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर भरपूर विचार सदन के समक्ष उन्होंने रखा है ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी को बजट 2021-22 पर अपना पक्ष रखते हुए माननीय नेता विरोधी दल द्वारा बजट पर कई प्रश्न उठाये गये थे । उनमें से कई प्रश्नों का उत्तर सरकार की तरफ से मेरे द्वारा दिया गया था लेकिन प्रश्नों की सूची लम्बी थी इसलिए कई प्रश्न अनुत्तरित रह गये । मैं आज उन प्रश्नों पर भी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, बजट पेश करने के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बजट के आकार को लेकर टिप्पणी की गई थी और बताया गया कि वर्ष 1990 से 2005-06 से 2021-22 तक प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से बजट आकार बढ़ रहा है । महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बजट के पेश करने के दौरान 1990 से 2005 तक बजट के आकार की तुलना वर्ष 2006 से 2021-22 के बजट आकार से की गई है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में बिहार का विभाजन हुआ था । 1990 में बिहार का बजट विरोधी दल के नेता के अनुसार ही 3000 करोड़ रूपये है । यह विभाजित बिहार के लिये 2000-01 में 7 गुणा बढ़कर 20444 करोड़ रूपये हो गया, वर्ष 2005-06 में बिहार का बजट 28976 करोड़ रूपये था । इस प्रकार झारखंड बॅंटवारा के बाद 2000-01 से 2005-06 तक के बजट आकार में करीब मात्र 1.5 गुणा की वृद्धि हुई थी । वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आकार की अगर तुलना करें तो इसमें वृद्धि करीब 7.5 गुणा हुई है ।

.....क्रमशः .....

टर्न-16/आजाद/17.03.2021

..... क्रमशः .....

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का लक्ष्य बिहार का विकास एवं आम लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक राशि खर्च करना है । इसलिए बजट का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता गया है । लेकिन हम केवल बजट के आकार की बात नहीं करते बल्कि हम बजट के गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हैं । वर्ष 1990-91 में योजना मद का व्यय 1794 करोड़ रू0 था जो कुल बजट व्यय 5987 करोड़ रू0 का 30 प्रतिशत था। 2001-02 में कुल बजट व्यय 18882 करोड़ रू0 में योजना व्यय 1640 करोड़ रू0 यथार्थ 8.75 प्रतिशत रहा है । वर्ष 2005-06 में योजना व्यय कुल बजट का 24 प्रतिशत था लेकिन आज 2021-22 में योजना व्यय कुल बजट का 46 प्रतिशत है । इसी प्रकार पूँजीगत व्यय में भी लगातार वृद्धि हो रही है । अध्यक्ष महोदय, 2010-11 में पूँजीगत व्यय 9196 करोड़ रू0 था और 2021-22 में 41231 करोड़ रू0 है अर्थात् साढ़े चार गुना

की वृद्धि हुई है । गुणवत्तापूर्ण बजट एवं बजट क्रियान्वयन बजट की उपलब्धियों में काफी परिवर्तन लाता है । यह इसलिए समाज को दिखाता भी है । हमने पूंजीगत व्यय एवं सामाजिक परिक्षेत्र में आम आदमी के कल्याणार्थ अधिक राशि का व्यय किया है ।

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा वर्ष 2005-06 में बजट आकार के विरूद्ध राज्य सरकार को कर एवं गैर कर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त केन्द्रीय करों में हिस्सा एवं सहायक अनुदान की राशि की तुलना वर्ष 2021-22 से किया गया था । अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ । 2005-06 में राज्य का बजट आकार 28976 करोड़ 41 लाख रू0 था तथा राज्य का कर एवं गैर कर राजस्व 4083 करोड़ 40 लाख रू0 था जो बजट आकार का 14 प्रतिशत था । इसी प्रकार 2005-06 में केन्द्रीय करों एवं सहायक अनुदान की राशि 14839 करोड़ रू0 अर्थात् कुल बजट आकार का 51.21 प्रतिशत था । 2021-22 में बजट का आकार 2,18,303 करोड़ रू0 है । इसके विरूद्ध राज्य का कर एवं गैर कर राजस्व 40555 करोड़ रू0 अर्थात् करीब 18.57 प्रतिशत है तथा केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा सहायक अनुदान मिलाकर 1,45,712 करोड़ रू0 है जो बजट का 67.7 प्रतिशत है । अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है । झारखंड अलग होने के बाद बिहार में राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है । वर्ष 2000 में बिहार बंटवारा के कारण 2001-02 में हमारा कर राजस्व 2319 करोड़ रू0 था जो 2005-06 में बढ़कर 3561 करोड़ रू0 हो गया अर्थात् डेढ़ गुना वृद्धि हुई । 2019-20 में कुल कर राजस्व 30197 करोड़ रू0 हो गया जो 2005-06 के कर राजस्व का साढ़े आठ गुना है । अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा जी0एस0डी0पी0 के बढ़ने के अनुपात में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के स्थान पर 2 प्रतिशत की कमी आयी है । महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का कथन कहीं से वह आंकड़ा प्रमाणित नहीं है । वर्ष 2006-07 में जी0एस0डी0पी0 1 लाख 737 करोड़ रू0 था जो 2019-20 में करीब छः गुना बढ़कर 6 लाख 17153 करोड़ रू0 हो गया । 2006-07 में राज्यों का कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्ति 4544 करोड़ रू0 था, जो 2019-20 में साढ़े सात गुना बढ़कर 33858 करोड़ रू0 हो गया । इससे स्पष्ट है कि जी0एस0डी0पी0 में जो वृद्धि का दर है उससे अधिक दर से हमारा राजस्व भी बढ़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि उनकी सरकार के समय में भारत सरकार से केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा सहायक अनुदान के रूप में कम राशि प्राप्त हो रही थी । महोदय,

2015-16 से भारत सरकार के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा चौदहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा लागू की गई है । इसमें केन्द्रीय करों में से राज्यों के लिए पूर्व में अंतरित की जाने वाली राशि 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत कर दी गई । भारत सरकार द्वारा करारोपण के नियमों को सरल एवं पारदर्शी बनाने के कारण केन्द्रीय करों के वसूली में वृद्धि हुई है । इसलिए केन्द्रीय करों में राज्य की प्राप्ति में वृद्धि हुई है ।

महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा लिये गये लोकऋण की राशि पर भी एन0डी0ए0 सरकार की तुलना अपनी सरकार से की थी । अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य आदमी भी अपने परिवार के उन्नति के लिए ऋण लेकर विकास का काम करता है । जिससे आगे चलकर उसका परिवार सुखी और सम्पन्न होता है तथा ऋण भी चुकता कर देता है, इसमें कोई बुराई नहीं है । ऋण लेना बुरा तब होता है जब क्षमता से अधिक ऋण लेते हैं तथा लिये गये ऋण का अपव्यय गैर विकासात्मक कार्यों में करते हैं । अध्यक्ष महोदय, 2005-06 में राज्य का लोकऋण 33733 करोड़ रू0 था जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 148180 करोड़ हो गया । राज्य का राज्य सकल घरेलू उत्पाद ऋण लेने की क्षमता निर्धारित करता है । जैसे-जैसे जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि हुई है, सरकार द्वारा ऋण अधिक लिया गया है। लेकिन यहां एक बिन्दु पर ध्यान देना आवश्यक है कि 2005-06 तक लिया गया लोकऋण जी0एस0डी0पी0 का करीब 41 प्रतिशत था, जो 2019-20 में घटकर 24 प्रतिशत रह गया है । महोदय, राज्य का कुल ऋण दायित्व 2005-06 में 46495 करोड़ रू0 था जो उस साल के जी0एस0डी0पी0 का 56 प्रतिशत हिस्सा था । 2019-20 में कुल ऋण दायित्व 190899 करोड़ रू0 है, जो 2019-20 में जी0एस0डी0पी0 का 31 प्रतिशत है । यद्यपि कि राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय तथा विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण लिया गया । फिर भी हम अपनी क्षमता से कम ही ऋण लिया है महोदय । महोदय, दुनिया के सभी देश और देश के सभी राज्य ऋण लेकर अपनी उन्नति कर रहे हैं । जो एक जनकल्याणकारी राज्य के लिए यथोचित भी है । अध्यक्ष महादेय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बताया गया कि सरकार ने कितना ऋण लिया है, वे बताते नहीं है । महोदय, प्रतिवर्ष बजट से संबंधित विभिन्न प्रकार की किताबें सदन में प्रस्तुत की जाती है और वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाता है । महोदय, इसमें बजट का सार एवं लोकऋण हेतु अलग से प्रकाशित पुस्तक में ऋण की सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है । महोदय, यह पूरी तरह से आम आदमी के लिए खुला हुआ है । नेता प्रतिपक्ष शायद इसे देखे नहीं हैं और सरकार पर अनर्गल आरोप लगाते हैं कि सरकार द्वारा सूचना नहीं दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा बताया गया कि पिछड़ा, अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट काफी कम है । महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि बजट में राशि का प्रावधान प्रक्षेत्रवार, विभागवार किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष स्कीम के लिए राशि का बजट का प्रावधान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मांग में किया जाता है लेकिन विभिन्न प्रक्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, आवास निर्माण, सिंचाई, कृषि, पशुपालन इत्यादि का बजट प्रावधान उनके संबंधित विभाग में ही किया जाता है और जिसका उपयोग या फायदा समाज के सभी वर्गों एवं सभी धर्मों के लिए समान रूप से होता है । महोदय, उर्पयुक्त वर्गों के कल्याण के लिए अलग विभाग भी बने हैं, जिसकी चर्चा मैंने विस्तार से की है । इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य विभागों द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन वर्गों को नहीं मिलता, इन विभागों में प्रावधानित राशि केवल इनके लिए ही है । अन्य विभागों में क्रियान्वित योजनाओं में अनुसूचित जाति घटक योजना के रूप में 16778 करोड़ रू0 तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र योजना के लिए 1550 करोड़ रू0 का बजट उपबंध किया गया है महोदय, जिससे अनुदानों के विस्तृत मांगों में देखा जा सकता है । उक्त राशि इन वर्गों के लिए कर्णांकित है महोदय । अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह भी बताया गया है कि खेल-कूद एवं पर्यटन के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है । महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि हम युवाओं के विकास के लिए खेल-कूद को कैसे त्याग सकते हैं । स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य दिमाग वास करता है, इसलिए मैंने अपने बजट भाषण में ही पूर्व में स्पष्ट किया था कि सात निश्चय पार्ट 2 योजना के अन्तर्गत बिहार में खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम एवं स्पोर्टस एकेडमी के साथ-साथ एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हम करने जा रहे हैं ।

...... क्रमशः ......

टर्न-17/शंभु/17.03.21

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : (क्रमशः) अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु हमारी सरकार कृतसंकल्प है । राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि कोरोना संकट के बावजूद इस वर्ष देशी पर्यटकों की संख्या 55 लाख तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 3 लाख से अधिक रही है । इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सहयोग से राज्य में प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन

योजना के अन्तर्गत जैन परिपथ, कांवरिया परिपथ, मंदार हिल परिपथ, गांधी परिपथ, रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, सूफी परिपथ आदि का विकास किया जा रहा है । इस वर्ष पर्यटन विकास के लिए अन्य विभागों के अलावा केवल पर्यटन विभाग के योजना मद में 251 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान भी हमने किया है । अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह भी कहा गया कि जब सात निश्चय-1 पूरा नहीं हुआ तो सात निश्चय-2 कैसे शुरू हो गया ? महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त नहीं हुआ है और हम सात निश्चय-1 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हम कृतसंकल्पित हैं । सात निश्चय-1 की योजनाएं एवं कार्यक्रम बंद नहीं हुए हैं । महोदय, राज्य के विकास के लिए सतत् कार्य हम करते हैं इसलिए वर्ष 2020-21 की समाप्ति के साथ ही हमने 2021-22 के लिए अपना गोलपोस्ट निर्धारित कर लिया है, कार्यक्रमों की रूपरेखा भी हमने बनायी है, रोडमैप भी हमने बनाया है एवं क्रियान्वयन की प्रारंभिक तैयारी कर ली गयी है । वर्ष 2021-22 से सात निश्चय-2 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जायेगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया है कि 1991, 1992 एवं 1993 में भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा उदारीकरण और विकास की नीति अपनायी गयी उसका लाभ राज्य को वर्ष 2000 के बाद मिलना प्रारंभ हुआ है । ठीक इसी प्रकार 1990 से 2005 में जो विकास कार्य हुआ उसका लाभ बिहार को बाद में मिला । महोदय, यह सर्वविदित है कि आधारभूत संरचनाओं में यदि व्यय होता है तो उसका लाभ दीर्घकाल के बाद आम आदमी को मिलता है । उस समय की जर्जर सड़कें, पुल-पुलिया, सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताल इस तथ्य को सत्य नहीं ठहराते । 2006 से राज्य में सड़क, बिजली, पानी, पुल आदि पर कार्य हुए हैं जो जमीन पर दिख भी रहा है, लोग उसे महसूस भी कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा यह भी बताया गया कि 23 फरवरी, 2021 तक कुल बजट 2.11 लाख करोड़ के विरूद्ध मात्र 70000 करोड़ रूपया ही खर्च किये । अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं उनका यह आंकड़ा सही नहीं है । दिनांक 15.03.2021 तक इस वित्तीय वर्ष में स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 89235 करोड़ रूपये तथा स्कीम मद में 57018 करोड़ रूपये कुल 1 लाख 46 हजार 253 करोड़ रूपये खर्च हुआ है । अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा बतलाया गया था कि उद्यमिता विकास के लिए मात्र 200 करोड़ रूपये के बजट उपबंध से 20 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा । महोदय, उद्यमिता विकास के लिए वास्तव में 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । मैंने अपने बजट भाषण में भी बताया था कि सात निश्चय-2 के अन्तर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति तथा सशक्त

महिला, सक्षम महिला योजना के तहत व्यापक काम किये जाने हैं । इसके अन्तर्गत आई0टी0आई0 और राज्य के पॉलीटेक्निक की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मेगा स्कील सेंटर स्थापित किया जाना है । इसमें राज्य के युवा पारंपरिक कौशल के साथ-साथ नयी तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे इससे ये स्वयं ही रोजगार के अवसर सृजित करेंगे तथा उन्हें नये-नये उद्योगों के क्षेत्र में भी रोजगार मिल सकेगा । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की पूर्व से चली आ रही सभी योजनाएं जो रोजगार सृजन में सहायक होती है, जारी रहेगी । राज्य में रोजगार सृजन में कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, डेयरी, सूचना प्रावैधिकी, श्रम संसाधन, विज्ञान प्रावैधिकी, उद्योग विभाग आदि का महत्वपूर्ण स्थान है । महोदय, आपने देखा होगा और आपके माध्यम से हम सदन के सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं कि बिहार में औद्योगिक क्रांति के लिए इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को हमारी सरकार ने पारित किया है और आज बिहार की जनता के सामने यह नीति पेश भी हुई है। महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया एजेंसी का हवाला दिया था और उसमें भ्रष्टाचार की बात की थी । महोदय, हम आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को बतलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति पर चलती है । इसके तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है । इसके लिए हमने भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज मामलों के विचारण हेतु पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में विशेष न्यायालय तथा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत 6 विशेष न्यायालय गठित किये हैं । अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से लड़ाई के अभियान में हम संस्थागत, प्रक्रियागत प्रणाली में भी सुधार कर रहे हैं । हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है कि बिहार में जीरो टोलरेंस जारी होगा और हम भ्रष्टाचार को बर्दास्त नहीं करेंगे । सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरकारी कार्यक्रमों में हमारी सरकार पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है । राज्य के खजाने से धन प्राप्त करनेवाले सभी लाभुकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में राशि अंतरित की जा रही है । राज्य के सरकरी सेवक, संवेदक, भेंडर, किसान एवं सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर्स, छात्रवृत्ति आपदा प्रभावित व्यक्तियों जनवितरण प्रणाली के लाभ आदि के अन्तर्गत लाभुक को खाते में सीधे राशि भुगतान किया जा रहा है । सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हमारे सम्मानित वृद्ध एवं किसान के खाते में पेंशन की राशि पहुंचती है तो उनके चेहरे खिल उठते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे । अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि

वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कोषागार से राशि की निकासी कर मार्च लूट को बढ़ावा दिया जाता है । महोदय, आपके माध्यम से सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों को यह बताना चाहते हैं कि भारत सरकार से कई योजनाओं के लिए अंतिम किस्त की राशि फरवरी, मार्च में प्राप्त होती है । इसलिए बजट सत्र में अनुपूरक बजट से राशि का उपबंध किया जाता है । इस राशि का व्यय मार्च में ही हो सकता है क्योंकि बजट उपबंध यही फरवरी मार्च में हुआ है । महोदय, मार्च लूट शब्द गुजरे दशकों की बात हो गयी । उस जमाने में होता होगा जब बिना बजट एवं आवंटन के ही राशि की निकासी हो जाती थी । मैं विस्तार से इसपर सदन में चर्चा नहीं करना चाहता तभी तो पशुपालन जैसा घोटाला आज बिहार के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है । हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2004 से ई-शासन परियोजना के तहत कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण किया गया । इसके अन्तर्गत बजट आवंटन, निकासी एवं व्यय का सिस्टम किया गया और सिस्टम से बजट आवंटन से अधिक निकासी असंभव है । अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन के समक्ष जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें विकसित बिहार की झलक दिखती है । हम सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से कठिन परिश्रम अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करेंगे । बजट का क्रियान्वयन शत प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0, सी0पी0एम0(माले) के सदस्यगण सदन के वेल में आ गये ।)

रोजगार सृजित करने हेतु युवाओं एवं युवतियों को पॉलीटेक्नीक एवं आई0टी0आई0 के माध्यम से आधुनिक कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे हमारे युवा न केवल स्वयं रोजगार प्राप्त करेंगे अपितु स्वयं का व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकेंगे । युवाओं को हमारी सरकार स्वरोजगार भी देगी और अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में आने वाली कठिनाइयों को हमारी सरकार भी समझती है । इसलिए उद्यमिता विकास के लिए सरकार की तरफ से अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि दिये जाने की योजना प्रारंभ की जा रही है । इसके अन्तर्गत नया उद्यम लगाने वाले युवाओं को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रू0 तक का अनुदान तथा 5 लाख रूपये मात्र 1 प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा । इसी प्रकार महिला उद्यमियों के लिए उन्हें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये तक का अनुदान एवं 5 लाख रूपये तक का करमुक्त सूदमुक्त ऋण दिया जायेगा । इसके लिए 400 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है जो अंतिम नहीं है, आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है । सात निश्चय-2 के अन्तर्गत इंटरमीडियेट उत्तीर्ण एवं विवाहित महिलाओं तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर

महिलाओं को क्रमश: 25 हजार एवं 50 हजार रूपये आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना है । महोदय, सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पशुओं एवं मत्स्य संसाधनों के विकास के लिए सात निश्चय-2 में विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं । इसका लाभ राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों की जनता को प्राप्त हो यह दायित्व हमें मिलकर निभाना है । स्वच्छ शहर एवं सात निश्चय को प्राप्त करने हेतु शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल तथा सभी शहरों में विद्युत् शवदाह गृह सहित मोक्षधाम के निर्माण के लक्ष्य को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम इसे प्राप्त करेंगे । अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी ने सरकारी महत्व को प्रमाणित किया है इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ टेलीमेडिसिन तथा पैथोलोजिकल जॉच के लिए दूर दराज से सैंपल कलेक्ट करने का कार्य प्रारंभ किया जाना है । हृदय में छेद सहित जन्मे बच्चों के नि:शुल्क उपचार के लिए हमने व्यवस्था की । पशुधन के स्वास्थ्य एवं सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन तथा डोर डिलेवरी प्रणाली की व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा आम बिहारवासियों और समाज सभी स्टेट होल्डर्स से बजट तैयार करने के संबंध में उसकी राय मांगी थी ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

...क्रमश: ...

टर्न-18/ज्योति/17-03-2021

...क्रमश: ...

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा बिहार के आम वासियों तथा समाज के सभी स्टेकहोल्टर से बजट तैयार करने के संबंध में उनकी राय मांगी थी । इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों यथा पर्यावरण एवं प्रदूषण उद्योग एवं सूचना एवं प्रावैधिकी, राजस्व संग्रहण में कृषि पशुपालन एवं उससे संबंधित क्षेत्र महिला एवं बाल विकास, कला संस्कृति एवं पर्यटन में काम करने वाले व्यक्ति के साथ बैठकर बजट की रुप रेखा हमने तैयार की थी एवं बाल विकास तथा कला संस्कृति एवं पर्यटन में काम करने वाले व्यक्ति संस्थाओं के साथ बैठ कर बजट की रुप रेखा तैयार की गयी, आम आदमी से भी ई मेल के माध्यम से कि हमारा बजट कैसा हो, पर सुझाव मांगा गया था जिसके क्रम में 53 सुझाव प्राप्त हुए थे, यथासंभव इनमें से भी उपयोगी सुझावों को बजट में शामिल किया गया है । इस प्रकार आम भागीदारी से तैयार इस बजट के क्रियान्वयन की सफलता बिहार के आम जनों की जागरुकता और जानकारी पर भी निर्भर करती है । इस सदन के सभी माननीय सदस्य आम आदमी से लगातार

जुड़े रहते हैं इसलिए सभी बिहार वासियों को सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी आपके माध्यम से भी हो सकती है इसलिए आप सभी से सहयोग का आह्वान भी करता हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित बजट से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या -2) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को यह बताने में काफी प्रसन्नता हो रही है कि कल बिहार की एन.डी.ए. सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 कैबिनेट से पास कर दी है । इसके साथ बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां इथेनॉल के लिए विशेष नीति लागू है । 2007 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इथेनॉल के मक्का और गन्ना से सीधे उत्पादन की जो भी परिकल्पना की थी वो अब साकार हो गयी है । इस नीति से राज्य के किसानों को विशेषकर गन्ना और मक्का के किसानों की आय बढ़ेगी । नीति में फ्यूल ग्रेड इथेनॉल की नयी इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए पूंजीगत अनुदान की भी व्यवस्था की गयी है । इससे बिहार में इथेनॉल की नयी इकाइयां खुलेंगी और स्थानीय स्तर पर काफी रोजगार का सृजन होगा। इस सदन के माध्यम से मैं पूरे बिहार की जनता को इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 के कैबिनेट से पास होने की सुखद सूचना देती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 मार्च, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 53 है अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 18 मार्च, 2021 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।